



महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन

२०७९

गोसाईकुण्ड गाउँपालिका, रसुवा



महालेखापरीक्षकको कार्यालय

काठमाडौं, नेपाल

दूरदृष्टि (Vision)

जवाफदेहिता, पारदर्शिता र निष्ठा प्रवर्द्धन गर्ने विश्वसनीय संस्था हुने ।

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency and Integrity)

गन्तव्य (Mission)

देशमा स्वतन्त्र एवं गुणस्तरीय लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गर्ने ।

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation)

मूल्य मान्यता (Core Values)

| | |
|--------------|-------------------|
| स्वतन्त्रता | (Independence) |
| निष्ठा | (Integrity) |
| पारदर्शिता | (Transparency) |
| जवाफदेहिता | (Accountability) |
| व्यावसायिकता | (Professionalism) |



महालेखापरीक्षकको कार्यालय
Office of the Auditor General

बबरमहल, काठमाण्डौ, नेपाल
Babar Mahal, Kathmandu, Nepal

(प्रादेशिक लेखापरीक्षण महा-निर्देशनालय, बाग्मती प्रदेश)

पत्र संख्या: २०७८/७९

च.नं.: ६५१

मिति: २०७९/०३/२५

श्री अध्यक्षज्यू,
गोसाईकुण्ड गाउँपालिका,
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय,
रसुवा ।

विषय:- लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ।

नेपालको संविधानको धारा २४१ बमोजिम त्यस पालिकाको आर्थिक वर्ष २०७६।७७ को लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) बमोजिम यो प्रतिवेदन जारी गरिएको छ । उक्त प्रतिवेदन लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(३) र दफा २२ बमोजिम कारवाहीको लागि अनुरोध छ ।

(त्रिलोचन आचार्य)

नायव महालेखापरीक्षक

महालेखापरीक्षकको भनाइ

नेपालको संविधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालयको लेखा कानून बमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको विचार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुने व्यवस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले प्रत्येक स्थानीय तहको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी अलग अलग प्रतिवेदन जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । उल्लिखित संबैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था एवं नेपाल सरकारी लेखापरीक्षण मान, वित्तीय लेखापरीक्षण मार्गदर्शन, स्थानीय तह लेखापरीक्षण निर्देशिका, महालेखापरीक्षकको वार्षिक लेखापरीक्षण योजना र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित ऐन, नियमको आधारमा यस स्थानीय तहको २०७६/७७ को आर्थिक कारोबारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी यो प्रतिवेदन जारी गरिएको छ ।



स्रोत साधनको प्राप्ति र परिचालन सम्बन्धमा नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिताका पक्षबाट विह्वेषण गरी वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधारका लागि सुझाव प्रदान गर्नु तथा सुशासन प्रवर्द्धनमा टेवा पुऱ्याउनु लेखापरीक्षणको उद्देश्य रहेको छ । लेखापरीक्षणमा वित्तीय विवरणको शुद्धता, प्रचलित कानूनको पालना, बजेट तथा योजना तर्जुमा, कार्यक्रम कार्यान्वयन, खरिद व्यवस्थापन, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र उपयोग, जबाफदेहिता एवं पारदर्शिता, सेवा प्रवाह लगायतका विषयहरूको मूल्याङ्कन गरिएको छ ।

लेखापरीक्षणमा मूलतः आन्तरिक आय र राजस्व बाँडफाँडको प्रक्षेपण तथा स्रोत व्यवस्थापन, आय सङ्कलन, राजस्व छुट, बजेट अनुशासन, वर्षान्तको खर्च, खरिद व्यवस्थापन, अनुत्पादक तथा बितरणमुखी खर्च, योजना प्राथमिकीकरण, आयोजना छनोट, उपभोक्ता समितिबाट भएका निर्माण कार्य, दीर्घकालीन विकासका खाका तर्जुमा लगायतका व्यहोरा औल्याइएको छ ।

लेखापरीक्षणबाट स्थानीय तहमा आवश्यक अनुभवी र दक्ष जनशक्तिको कमी रहेको, सेवा प्रवाहमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको, स्रोत, साधन र सम्पत्तिको दुरुस्त अभिलेख नरहेको, सञ्चालित योजना, कार्यक्रम, सेवा प्रवाहको यथार्थ रूपले अभिलेख नराखेको, लेखाङ्कन तथा समग्र प्रतिवेदन प्रणाली र आन्तरिक नियन्त्रण कमजोर रहनुका साथै आन्तरिक लेखापरीक्षण भरपर्दो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ । स्थानीय तहमा महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरजू फर्स्यौट सम्बन्धी स्पष्ट कार्यविधि तर्जुमा भएको देखिएन । लेखापरीक्षणबाट औल्याएका व्यहोराहरू सुधार गरी गत विगतका बेरजू उपर आवश्यक कारवाही गरी वित्तीय अनुशासन कायम हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ ।

समय र जनशक्तिको सीमितताको बाबजुद यथासम्भव स्थानीय तहको कार्यस्थलमा नै उपस्थित भई लेखापरीक्षण गरिएको छ । लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीबाट स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूसँग छलफल समेत गरिएको छ । लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्यहोराको कार्यान्वयनबाट स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापन, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा सुधार हुने अपेक्षा गरेको छु । स्थानीय तहको लेखापरीक्षणमा सहयोग पुऱ्याउने स्थानीय तहका सबै पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू र लेखापरीक्षण कार्यमा संलग्न यस कार्यालयका कर्मचारीहरू सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।

(टंकमणि शर्मा दंगाल)

महालेखापरीक्षक



महालेखापरीक्षकको कार्यालय Office of the Auditor General

बबरमहल, काठमाण्डौ, नेपाल

(प्रदेशीय लेखापरीक्षण महाविद्यालय, बामती प्रवेश)

पत्र संख्या: २०७८/७९

च.नं. ६८९

मिति: २०७९/३/२५

विषय: लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ।

श्री अध्यक्षज्यू,

गोसाईकुण्ड गाउँपालिका, रसुवा ।

कैफियत सहितको राय

हामीले यस गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वित्तीय विवरण र त्यससँग सम्बन्धित अन्य विवरण तथा लेखा टिप्पणीहरूको लेखापरीक्षण गरेका छौं ।

हाम्रो रायमा, यस प्रतिवेदनको कैफियत सहितको राय व्यक्त गर्ने आधार खण्डमा उल्लेख भएका विषयले पार्ने असर बाहेक, पेस भएको २०७८ आषाढ ३१ मा राम्रास भएको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वित्तीय विवरण र त्यससँग सम्बन्धित अन्य विवरणले स्थानीय तहसँग सम्बन्धित प्रचलित कानूनबमोजिम सारभूतरूपमा सही तथा यथार्थ अवस्था चित्रण गर्दछ ।

कैफियत सहितको राय व्यक्त गर्ने आधार

- यस गाउँपालिकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखापरीक्षणको ढाँचा पूर्णरूपमा प्रयोग गरी वित्तीय विवरण तयार गरेको छैन ।
- लेखापरीक्षणबाट रु. ७९ लाख १६ हजार बेरुजू देखिएको छ । यस वर्ष कायम भएको बेरुजू उपर मिति २०७८/५/१६ मा प्राप्त प्रतिक्रियाबाट रु. ७८ हजार फर्क्यौट भई बाँकी रु. ७८ लाख ३८ हजार बेरुजूमध्ये असुल गर्नुपर्ने रु. ७४ हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने रु. १० हजार, नियमित गर्नुपर्ने रु. ७७ लाख ५५ रहेको छ । पालिकाको गतवर्षसम्मको रु. ३ करोड १३ लाख २ हजार बेरुजू बाँकी रहेकोमा यसवर्ष कायम भएको बेरुजू समेत हालसम्मको अघाबधिक बेरुजू रु. ३ करोड ९९ लाख ४० हजार रहेको छ । यस पालिकाको बेरुजू बर्गीकरण र अघाबधिक बेरुजू स्थिति यसैसाथ संलग्न छ ।
- यस गाउँपालिकाको लेखापरीक्षणबाट स्रोत र साधनको प्राप्तिको प्रक्षेपण यथार्थपरक नभएको, असुली लक्ष्यअनुसार नभएको, कर्मचारीको दरबन्दीअनुसार पदपूर्ति नभएका कारण विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता नआएको, अनुदानको पर्याप्त अनुगमन नभएको, वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको लगायतका व्यहोरा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ । कार्यालयबाट सम्प्रेषित लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन यसको अङ्गको रूपमा रहेको छ ।
- आम्दानी तथा खर्चको खेस्ता नागदमा आधारित लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पालिकाको पेशकी बाहेक सम्पत्ति तथा दायित्व यकिन हुने कुनै जानकारी खुलाएको छैन ।

हाम्रो लेखापरीक्षण कार्य नेपालको संविधान, लेखापरीक्षण ऐन तथा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले अवलम्बन गरेका सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मार्गदर्शन तथा लेखापरीक्षणसँग सम्बन्धित अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम गरिएको छ । वित्तीय विवरण तयार गर्ने स्थानीय तहसँग हामी स्वतन्त्र छौं । त्यसैगरी स्वीकृत आचारसंहिताको पालना गरी कार्यसम्पादन गरेका छौं । लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त गरेका लेखापरीक्षण प्रमाणहरू हामी राय व्यक्त गर्ने आधारका लागि पर्याप्त र उपयुक्त छन् भन्ने कुरामा कार्यालय विश्वस्त छ ।

वित्तीय विवरण उपर व्यवस्थापन र लेखाउत्तरदायी अधिकारीको जिम्मेवारी

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम सही र यथार्थ हुने गरी वित्तीय विवरण तयार गर्ने तथा जालसाजी वा अन्य गल्तीका कारण वित्तीय विवरण सारभूतरूपमा गलत आँकडा रहित स्वरूपमा बन्ने गरी आवश्यक आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागू गर्ने जिम्मेवारी पालिका व्यवस्थापनमा रहेको छ । गाउँ कार्यपालिका, अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नगरपालिकाको वित्तीय प्रतिवेदन प्रक्रियाको अनुगमनका लागि जिम्मेवार रहेका छन् ।

वित्तीय विवरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको जिम्मेवारी

वित्तीय प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी वा अन्य गल्ती समेतका कारण सारभूतरूपमा गलत आँकडा रहित होस् भनी उचित आग्रहता प्राप्त गरी राय सहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गर्नु लेखापरीक्षणको उद्देश्य हो । लेखापरीक्षणमा उचित आग्रहताले सामान्य स्तरको आग्रहतासम्म प्रदान गरेको हुन्छ तर लेखापरीक्षण ऐन तथा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले अवलम्बन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मार्गदर्शन तथा लेखापरीक्षणसँग सम्बन्धित अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम गर्ने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पनि सबै प्रकारका जालसाजीजन्य वा अन्य गल्ती पत्ता लगाउन सक्ने निश्चितता बन्ने हुँदैन । वित्तीय विवरणका उपयोगकतलै सामान्यतया गर्ने आर्थिक निर्णयमा नै फरक पार्न सक्ने अवस्था देखिएका एउटै वा समग्रतामा हुने विशेष वा जालसाजीजन्य वा अन्य गल्तीलाई सारभूतरूपमा गलत आँकडा मानिएको छ ।

(त्रिलोचन आचार्य)

नायब महालेखापरीक्षक

गोसाइकुण्ड गाउँपालिका

रसुवा

परिचय:- स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्दै स्थानीय शासन पद्धतिलाई सुदृढ गरी स्थानीय तहमा विधायिकी, कार्यकारीणी र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्न स्थानीय सरकारको संचालन गर्ने उद्देश्यले यस गोसाइकुण्ड गाँउ कार्यपालिकाको स्थापना भएको हो । स्थानीय सरकारले संचालन गर्ने कार्यमा सहकारिता, सह-अस्तित्व र समन्वयलाई प्रवर्द्धन गर्नु र स्थानीय सरकारका काममा जनसहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चित गरी नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नु यस पालिकाको उद्देश्य रहेको छ । यस गाउँपालिका अन्तर्गत ६ वडा, २८ सभा सदस्य, ९७८।७७ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल तथा ७ हजार १४३ जनसंख्या रहेको छ ।

आर्थिक कारोबारको स्थिति:- स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ बमोजिम यस गाँउपालिकाले प्राप्त गरेको आय, अनुदान तथा सहायता समेत स्थानीय सरकारले पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को एकीकृत आय-व्यय हिसावको संक्षिप्त अवस्था देहाय बमोजिम रहेको छ:-

आ.व. २०७६/०७७ को एकीकृत आर्थिक विवरण

| बाप तर्फ | | | व्यय तर्फ | | | |
|----------|--|-------------|-----------|--|-------------------------|-------------|
| क्र.नं. | विवरण | रकम | क्र.नं. | विवरण | रकम | |
| १ | गत वर्षको विम्बेवारी | | १ | धान्य तर्फ | ९९३०७९५९.९९ | |
| | (क) नगर | | | (क) संघ समानीकरण | २६१२४२९.०० | |
| | (ख) बैँक | ३३०२९०१०.३६ | | (ख) प्रदेश समानीकरण | १७८१७२२.०० | |
| | (ग) घरौटी | ३७१८८०.०० | | (ग) संघ शसर्त | ६४०९५३२.५० | |
| | (घ) कोष तर्फ | | | (घ) प्रदेश शसर्त | ६३००००.०० | |
| | | | | (ङ) संघ राज्य | २९८४१२८९.६९ | |
| | | | | (च) प्रदेश राज्य | २१७८७३२.०० | |
| २ | (क) आन्तरिक राज्य | ७४४०६३०.४१ | २ | आन्तरिक राज्य | ६१६४२६२.०० | |
| | (ख) स्थीय राज्य बौद्धि | ४४७३७६९७.७१ | २ | पुँजीगत तर्फ | | |
| | (ग) प्रदेश राज्य बौद्धि | १२६६८२१४.६२ | | (क) संघ समानीकरण | २६२२६४००.१७ | |
| | (घ) बौद्धिबाट प्राप्त नन रोपन्टी | | | (ख) प्रदेश समानीकरण | ३४४३६८८.०० | |
| | (ङ) बौद्धिबाट प्राप्त निपुन रोपन्टी | | | (ग) संघ शसर्त | ४०३८२३४.०० | |
| ३ | स्थीय सरकारबाट प्राप्त हस्तान्तरण अनुदान | १६९६७०००.०० | | (घ) प्रदेश शसर्त | ८४०८५८४.०० | |
| | (क) वित्तीय समानीकरण अनुदान | ७७४०००००.०० | | (ङ) संघ राज्य | १४७१८१४९.५० | |
| | (ख) शसर्त अनुदान | ९२१७९०००.०० | | (च) प्रदेश राज्य | २६४१९०४.०० | |
| | (ग) समपुरक अनुदान | ०.०० | | (ङ) आन्तरिक राज्य | १३४४७२३६.०० | |
| | (घ) विशेष अनुदान | | | (च) प्रदेश समपुरक | ४१८३२३९.०० | |
| ४ | प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हस्तान्तरण अनुदान | ३३२२८४००.०० | ३ | वित्तीय व्यवस्थापन भुक्तानी | | |
| | (क) वित्तीय समानीकरण अनुदान | ९५२१०००.०० | | (क) ऋण भुक्तानी | | |
| | (ख) शसर्त अनुदान | ११४०४०००.०० | | (ख) सौँबा भुक्तानी | | |
| | (ग) समपुरक अनुदान | ३८०२४००.०० | | (ग) व्याज भुक्तानी | | |
| | (घ) विशेष अनुदान | | | (घ) अन्य भुक्तानी | | |
| ५ | अन्तरस्थानीय तहबाट प्राप्त (साईँट्टोपानर अट) | ८४०००००.०० | ४ | लगानी | | |
| ६ | वित्तीय व्यवस्थापन प्राप्ति | | | (क) ऋण लगानी | | |
| | (क) ऋण प्राप्ति | | | (ख) शेयर लगानी | | |
| | (ख) सौँबा प्राप्ति | | | (ग) अन्य लगानी | | |
| | (ग) व्याज प्राप्ति | | ५ | अन्तर सरकारी स्थानीय तह | | |
| | (घ) अन्य प्राप्ति | | | ६ | विषयगत निकायबाट प्राप्त | २०१४५८००.०० |
| ७ | विविन्न कोष तर्फको आय | ३८८३१३३.०० | | (क) सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण | २०१४५८००.०० | |
| | (क) कोषीय रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष | ३८८३१३३.०० | ७ | अन्य निकायबाट प्राप्त रकम | ३९००४८८७.०० | |
| ८ | जनसहभागिता (नगर) | | | (क) गृह मन्त्रालय (राष्ट्रिय परिचय पत्र) | १०३१३३२.०० | |
| ९ | विषयगत निकायबाट प्राप्त रकम | २१७३४०००.०० | | (ख) स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम | १६२४३१९९.०० | |
| | (क) सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण | २१७३४०००.०० | | (ग) प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम | १३२७२३५८.०० | |
| | | | | (घ) गरिब घर परिवार पहिचान कार्यक्रम | ४४९०७८.०० | |
| | | | | ८ | घरौटी फिर्ता | ७९४०००.०० |
| १० | घरौटी जाय | २९३४६३९.०० | | ९ | कोष खर्च | ३६२२९६३.४४ |
| ११ | अन्य निकायबाट प्राप्त रकम | ३३२९२०००.०० | | (क) कोषीय रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष | ३६२२९६३.४४ | |
| | (क) गृह मन्त्रालय (राष्ट्रिय परिचयपत्र) | १४०८०००.०० | १० | अनुदान तथा निकास फिर्ता | | |
| | (ख) स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम | १६४०००००.०० | | (क) संघ शसर्त | २४०४१२३२.५० | |
| | (ग) प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम | १४००००००.०० | | (ख) प्रदेश शसर्त | २२६६४९४.०० | |
| | (घ) गरिब घर परिवार पहिचान कार्यक्रम | १२८४०००.०० | | (ग) प्रदेश समपुरक | ८९२४१६९.०० | |

| जाय गर्क | | | | व्यय गर्क | | | |
|----------|----------------------|-------|--------------|-----------|--|--------------|--------------|
| क्र.नं. | विवरण | रकम | जम्मा रकम | क्र.नं. | विवरण | रकम | जम्मा रकम |
| | | | | | (घ) सामाजिक सुरक्षा तथा सरलण | १४८८२००.०० | |
| | | | | | (ङ) राष्ट्रिय परिचयपत्र | ४७६६६८.०० | |
| | | | | | (च) स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम | २४७८८९.०० | |
| | | | | | (छ) प्रवेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम | ७२७८४२.०० | |
| | | | | | (ज) गरिब घर परिवार पहिचान कार्यक्रम | ८२४९२२.०० | |
| | | | | ११ | सोन्दात | | ९१४९८८४.३९ |
| | | | | | (क) नगद | | |
| | | | | | (ख) बैंक सोन्दात (सञ्चित कोषमा अन्या) | ८८७९६८४.८४ | |
| १२ | समान्यको सोबा फिर्ता | | | | (ग) धरौटी खातामा सोन्दात | २४९२४९९.०० | |
| १३ | अन्य विविध कार्य | | | | (घ) कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष | ३४९४७९.४४ | |
| | | जम्मा | ३६२९९९४२६.२० | | | ३६२९९९४२६.२० | ३६२९९९४२६.२० |

७९


कार्यालयको नाम : गोसाईकुण्ड गाँउकार्यपालिका रसुवा स्याफुवेसी

आ.व. २०७६।७७

| दफा | भौ.नं. मिति र ब्यहोरा | बेरुजू रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--------------|-------------|---------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------|-----|--|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--|-------------|--------------|-------------|----------|-------------|------------|--|
| १. | <p>वित्तीय विवरण - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को नियम ७२(२) मा नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिमको आय र व्ययको वर्गीकरण तथा खर्च शीर्षक सम्बन्धी व्यवस्था अबलम्बन गर्नुपर्ने तथा नियम ७६(२) मा महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृत भए बमोजिमको ढाँचामा लेखा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा यस पालिकाले २०७६।२।१९ मा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत भएको NEPSAS based ढाँचामा लेखाइत तथा प्रतिवेदन गर्नुपर्दछ । गाँउपालिकाले उपलब्ध गराएको वित्तीय विवरण सम्बन्धमा निम्नानुसार देखिएको छः</p> <ul style="list-style-type: none"> स्थानीय तहले संचित कोषमा गत विगतको बाँकी यस वर्ष प्राप्त रकम स्पष्ट देखिने गरी खाता राखेको छैन । मन्त्रालयगत बजेट सुचना प्रणालीमा र प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सुचना प्रणालीमा पहुँच नदिएको कारण बजेटिन अनुसारको आर्थिक विवरण तयार नभएको सुचको बजेटिन र सँग मन्त्रालयगत बजेट सुचना प्रणालीमा र प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सुचना प्रणाली को बजेटिन विच एकरूपता नदेखिएकोकारण तहगत सरकार अनुसारको बजेट खर्च भिडान गर्न नसकिएको । <p>त्यसैले तोकेबमोजिमका वित्तीय विवरणहरु तथा खाताहरु अद्यावधिक गरी आय र व्ययको वास्तविक स्थिति देखिने गरी लेखाकन गर्नुपर्दछ ।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २. | <p>बैंक हिसाब मिलान - स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमोजिम स्थानीय तहले आफ्नो कारोबारको लेखा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको सिफारिशमा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत भएको ढाँचामा राख्नुपर्ने उल्लेख छ । सो बमोजिम मासिक रुपमा सेस्ता र बैंक खाताको हिसाब मिलान विवरण तयार गर्नुपर्नेमा स्थानीय तहले सञ्चालन गरेको देहायबमोजिमको खाताको बैंक हिसाब मिलान विवरण तयार नगरेको कारण निम्नानुसार फरक पर्न गएकोले बैंक हिसाब मिलान विवरण तयार गरी यकिन गर्नुपर्ने छ.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.नं.</th> <th>खाताको नाम</th> <th>विकाष</th> <th>खर्च</th> <th>सेस्ता अनुसार बाँकी</th> <th>बैंक स्टेटमेण्ट अनुसार बाँकी</th> <th>फरक</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>घातु तर्फ</td> <td>१२६९४४०६७।४०</td> <td>९९३०७९५१।१९</td> <td>२७६३६११६।३९</td> <td>२८४४९३८०।४६</td> <td>९२३२६४।२२</td> </tr> <tr> <td></td> <td>पूजीगत तर्फ</td> <td>१०२०९२०६९।६७</td> <td>७८२१६७३९।६७</td> <td>२३८७४३३०</td> <td>३४८७६२६२।३४</td> <td>१२००९३२।३४</td> </tr> </tbody> </table> | क्र.नं. | खाताको नाम | विकाष | खर्च | सेस्ता अनुसार बाँकी | बैंक स्टेटमेण्ट अनुसार बाँकी | फरक | | घातु तर्फ | १२६९४४०६७।४० | ९९३०७९५१।१९ | २७६३६११६।३९ | २८४४९३८०।४६ | ९२३२६४।२२ | | पूजीगत तर्फ | १०२०९२०६९।६७ | ७८२१६७३९।६७ | २३८७४३३० | ३४८७६२६२।३४ | १२००९३२।३४ | |
| क्र.नं. | खाताको नाम | विकाष | खर्च | सेस्ता अनुसार बाँकी | बैंक स्टेटमेण्ट अनुसार बाँकी | फरक | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | घातु तर्फ | १२६९४४०६७।४० | ९९३०७९५१।१९ | २७६३६११६।३९ | २८४४९३८०।४६ | ९२३२६४।२२ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | पूजीगत तर्फ | १०२०९२०६९।६७ | ७८२१६७३९।६७ | २३८७४३३० | ३४८७६२६२।३४ | १२००९३२।३४ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>माथि उल्लिखित फरक पर्नका कारण चेक साटून बाँकीको कारणबाट वर्षान्तको अन्तमा फरक परेको देखिन्छ र हाल आएर चेक सटी हिसाब मिलान भईसकेको भन्ने कार्यालयको भनाईछ । बैंक हिसाब मिलान विवरण बनाउनुपर्दछ ।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३. | <p>आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली: स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ बमोजिम आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरि लागु गर्नुपर्नेमा लागु गरेको पाईएन । यस सम्बन्धमा देखिएका अन्य व्यहोराहरु तपशिल बमोजिम रहेका छन् ।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| दफा | भौ.नं., मिति र ब्यहोरा | बेरुजू रकम |
|-----|---|------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ अनुसार आफ्नो क्षेत्रभित्रको आधारभुत तथ्यांक संकलन, अभिलेखांकन र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सो गरेको पाईएन। • स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्रका विषयमा स्थानीयस्तरको विकासका लागि आवधिक, वार्षिक, रणनीतिगत विषय क्षेत्रगत मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन विकास योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा मध्यकालीन खर्च सम्वचना नभएको पाईएन । • स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १३ बमोजिम आर्थिक वर्ष शुरु हुनुभन्दा पन्द्र दिन अगावै पालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको निर्माण सामग्री मूल्य, ज्याला, भाडा तथा अन्य महशुलको स्थानीय न्युनतम दररेट तोक्नु पर्नेमा तोकिएको पाईएन। • स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार स्थानीय तहहरूले आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका विषयमा ऐन तथा सोको अधिनमा रही नियम निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बनाउनुपर्नेमा यस पालिकाले हालसम्म १० ऐन, ४ नियमावली, २० कार्यविधि ४ निर्देशिका १ आचरसंहिता १ दिग्दर्शन र मापदण्ड २ समेत ४१ कानुन एवं कार्यविधि निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। • अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमोजिम मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्नेमा पालिकाले सो बमोजिम मध्यकालीन खर्चको संरचना तयार गरेको पाईएन । • गोसाईकुण्ड गाँउपालिका रसुवाको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७६ को नियम ८ मा खरिदको गुरुयोजना तयार गर्नुपर्नेमा तयार गरेको पाईएन। • गोसाईकुण्ड गाँउपालिका रसुवाको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७६ को नियम १०७ को उपनियम १३ अनुसार यस वर्ष कार्यसम्पन्न भएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरू उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा गरेको पाईएन । • मुत्यु अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को नियम ६क मा ठेक्का सम्झौता र कर भुक्तानीको जानाकारी सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई नदिई आर्थिक वर्षको अन्तमा माव दिएको तथा इ टीडिएस गरेको पाइएन। • निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५क बमोजिम कर्मचारीहरूको कार्य विवरण बनाई शाखा प्रमुखलाई दिएको तर अन्य कर्मचारीमा लागू गरेको पाईएन । • निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ख२ बमोजिम तलवि प्रतिवेदन पारित गराएर मात्र तलब भत्ता भुक्तानी गर्नुपर्नेमा कार्यालयले तलवी प्रतिवेदन पारित नगरी वर्षभरीमा रु.७८९९९७१।०० खर्च लेखेको पाईयो । • पालिकाले कार्यक्रमगत तथा योजनागत खाता राखेको पाईएन । साथै पालिकाबाट यस वर्ष संचालित कार्यक्रम तथा योजनाको कार्यान्वयन र सेवा प्रवाह समेतको वार्षिक कार्यक्रम अनुसारको प्रगति तयार गरेको पाईएन। • राजस्व संकलन सम्बन्धमा सुचना प्रविधिको प्रयोग गरी केही कारोबार बैकिङ प्रणाली मार्फत गर्ने गरेको देखिएन । | |

| दफा | भौ.नं. मिति र ब्यहोरा | बेरुजू रकम |
|-----|--|------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • स्थानिय तहले आफ्नो क्षेत्रमा कार्यान्वयन हुने आयोजनाको बिहोषण गरी सम्भाव्य आयोजनाको बैक खडा गरेको देखिएन । • दिगो बिकास योजना (२०१५-३०) लाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा लक्ष्यलाई आन्तरिकीकरण गर्ने र मध्यकालिन लक्ष्यहरु तोकि मुल्याङ्कन गर्ने कार्य भएको देखिएन । नीतीमा रहेको कार्यक्रममा नरहेको • जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार विभिन्न मालसामान मर्मत तथा लिलाम गर्नु पर्नेमा गरेको पाईएन । • कुनै रकमको भुक्तानी दिँदा रित पुगेको वा नपुगेको जाँच गरी रसिद विल भर्पाइहरुमा सिलसिलेवार नम्बर राखि कार्यालय प्रमुखले तोकिएको कर्मचारीले भुक्तानी भएको जनाउने छाप समेत लगाई दस्तखत गरी प्रमाणित गर्नुपर्नेमा सो अनुसार गरेको पाईएन । • ठेक्काहरुको विस्तृत विवरण देखिने गरी ठेक्का अभिलेख खाता र कन्टिन्जेन्सी खाता राखेको पाईएन । • स्थानीय तहले निर्माण व्यवसायी तथा उपभोक्ता समिति मार्फत कार्य गराएकोमा निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने सामानको गुणस्तर परीक्षण गरेको पाइएन । • वातावरणको संरक्षणको एकिकृत दिर्घकालीन योजना तयार गरेको पाइएन । शहरीकरण भैरहेका स्थानलाई मध्यनजर राखदै फोहोरमैला व्यवस्थापन स्थल पहिचान एवं कार्ययोजना तयार गरेको पाईएन । <p>तसर्थ पालिकाले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई तोकिए बमोजिम प्रभावकारी र विध्वशनीय बनाइ सेवा प्रवाह सुदृढ बनाउने तर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।</p> | |
| ४. | <p>अतिरिक्त भत्ता: कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ परिच्छेद सातको खर्चको मापदण्ड सम्बन्धी शीर्षकको खाजा/खाना खर्च र प्रोत्साहान सम्बन्धमा खाजा/ खाना खर्चका सम्बन्धमा सम्बन्धीत मन्त्रालयलवाट निर्णय भई आएपछि प्रचलनमा रहेका स्वीकृत मापण्ड (नर्मस) को आधारमा आवश्यक र औचित्य हेरी अर्थ मन्त्रालयले यस्तो स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था छ । जस्का लागि निम्न प्रक्रिया पुरा हुने अवस्थामा मात्र खाजा/खाना उपलब्ध गराउने भन्ने व्यवस्था छ । अतिरिक्त समयमा गरिने काम र सो बाट प्राप्त हुने नतिजा लेखा उत्तरदाही प्रमाणित गराइएको हुनुपर्ने,नियमित काम बाहेक विशेष कामको लागि दैनिक २ घन्टा भन्दा बढी अतिरिक्त समय काम गर्ने कर्मचारीलाई खाजा/खाना खर्च वापत रु.३०० दिने सकिने, सार्वजनिक विदाको दिन काम गरे वापत खाजा/खाना खर्चको लागि रु ६०० दिन सकिने र यस प्रयोजनका लागि विद्युतिय हाजिर अनिवार्यरूपमा लागु भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । विद्युतीय हाजिरी विना अतिरिक्त भत्ता वापत रु ४७७१२७।०० खर्च भएको देखिएकोले यस्तो खर्च लेखदा कार्यसञ्चालन निर्देशिकामा भएको व्यवस्थाको पुर्ण परिपालना गरी खर्च गर्नु पर्ने देखिन्छ ।</p> | |
| | योजना तर्जुमा, बजेट तथा कार्यक्रम | |
| ५. | <p>चौमासिक पूँजीगत खर्च - आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम २३ बमोजिम स्वीकृत भएको कार्यक्रममा नियम २५ बमोजिम चौमासिक प्रगति विवरण</p> | |



दफा भौ.नं. मिति र ब्यहोरा
 बनाई पेश गर्नुपर्ने र चौमासिक कार्यलक्ष्य तथा कार्यक्रम बमोजिम कार्यसम्पादन सम्पन्न गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार चौमासिक पुजिगत खर्चको स्थिति देहाय बमोजिम छ । वर्षान्तमा हतारमा काम गराउँदा कामको गुणस्तरमा असर पर्ने देखिएकोले नियममा भएको व्यवस्था अनुरूप आषाढमा खर्च गर्ने परिपाटीमा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ । श्रोतगत र चौमासिक प्रतिवेदन विच भिडान हुन नसकेको देखिन्छ ।

| सि.नं. | पूँजीगत खर्च शीर्षक | कुल खर्च | चौमासिक खर्च (रु.हजारमा) | | | आषाढ महिनाको मात्र खर्च |
|--------|---------------------|----------|--------------------------|----------------|---------------|-------------------------|
| | | | प्रथम चौमासिक | दोस्रो चौमासिक | तेस्रोचौमासिक | |
| १ | ८०३२८५०३१०१ | ६३६७३ | २७३० | ७९०९ | ५३०३३ | ४५५०१ |
| २ | ८०३२८५०३५२१ | ८५०८ | ० | ० | ८५०८ | ८५०८ |
| ३ | ८०३२८५०३५११ | ४०३८ | ० | २११४ | १९२४ | १७९६ |
| ४ | ८०३२८५०३३०३ कृषि | १२४६ | ० | ० | १२४६ | ० |
| ५ | ८०३२८५०३३०१ शिक्षा | ७५० | ० | ० | ७५० | ० |
| | कूल खर्च: | ७८२१६ | २७३० | १००२३ | ६५४६३ | ५५८०६ |
| | खर्च प्रतिशत | १०० | ३४९ | १२१५१ | ८३१७० | ७११३५ |

६. क्षेत्रगत बजेट र खर्च - स्थानीय तहको एकीकृत, समानुपातिक र दिगो विकासका क्षेत्रगत रुपमा समानुपातिक बजेट विनियोजन गरी खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यस पालिकाको २०७६।७७ को क्षेत्रगत बजेट र खर्चको स्थिति देहाय अनुसार रहेको देखिन्छ ।

| मुख्य क्षेत्र | वार्षिक बजेट | खर्च रकम | कुल खर्च मध्ये प्रतिशत |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| आर्थिक विकास | ३६७५७००० | १२८६५८० | ३४५ |
| सामाजिक क्षेत्र | १३५००३५०४ | ९५७६३७९६ | ७११ |
| पूर्वाधार विकास क्षेत्र | ९४६९९००० | ३७१२९२५८ | ३९१२ |
| वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन | ० | ० | ० |
| संस्थागत विकास र सेवा प्रवाह | ० | ० | ० |
| सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित | १८२२००० | ७९९१५० | ४३१८६ |
| कार्य सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्च | ३९४४१४९६ | ३१००५९०७ | ७८१६१ |
| जम्मा | ३०७०२३००० | १७७५२४६९१ | ५७१८२ |

उल्लिखित विवरण विक्षेपणबाट निम्नानुसार देखिएको छः

६.१. दिगो विकासलाई नै सम्बोधन गरेर बजेट तथा कार्यक्रम बनाएको पाईएन ।

६.२. वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन र संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेको पाईएन ।

६.३. आर्थिक व्यवस्थापन सम्बन्धि नीति, सहकारी तथा गरिवी निवारण सम्बन्धि नीति लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण सम्बन्धि नीति, युवा तथा खेलकुद नीति, वनवातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन नीति, संस्थागत सुशासन, पर्यटन विकास, सामाजिक विकास सम्बन्धि नीति, स्वास्थ्य नीति, खानेपानी तथा सरसफाई नीति सुचना प्रविधी नीति, सिंचाई नीति, भवन तथा शहरी विकास नीति, संचार नीति, संस्कृति प्रवर्द्धन नीति र पूर्वाधार सम्बन्धि नीति अख्तियार गर्ने उल्लेख गरेपनि अधिकांश विषयलाई समेटेर बजेट तथा कार्यक्रम खर्च गरेको पाईएन ।

| दफा | भौ.नं. मिति र ब्यहोरा | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--------------|-----------|--------------|-----|---|---------------------------|---|--------|---|---|----|---------|---|-----------------------------------|----|----------|---|------------------------------------|----|----------|---|---------------------|---|----------|--|-------|----|-----------|--|
| ६.४. | उत्पादनमूलक एवं रोजगारी प्रदान गर्ने क्षेत्रमा बजेट व्यवस्थाअनुसार खर्च गरेको पाईएन । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ७. | <p>खर्च बिश्लेषण - पालिकाले यसवर्ष कुल आन्तरिक आयबाट अल्या ३३०२९०१०।३६समेत रु ३९४६३६४०।८७ आन्तरिक आय तर्फ रु ७४४०६३०।५१ राजस्व बाँडफाँड रु ५७४०५८३३।३२२ अनुदानबाट रु २०४९९३४००।समेत रु ३०९७८२८७४।९९आम्दानी भएकोमा चालु तर्फ रु ९९३०७९५१।९९ र पूँजिगत तर्फ रु.७८२९६७३९।६७ समेत रु १७७५२४६९०।८६ खर्च भएको छ । कुल आयमा आन्तरिक आयको हिस्सा २।४६ प्रतिशत रहेको छ । यसवर्ष पदाधिकारी सविधामा रु ८२५००० खर्च भएको छ जुन आन्तरिक आयको ११।०८ प्रतिशत रहेको छ । पालिकालाई प्राप्त भएको सबै अनुदान र राजस्व बाँडफाँडको रकमबाट ३२।९० प्रतिशत चालु र २५।९१ प्रतिशतमात्र पूँजिगत निर्माणमा खर्च भएको देखिन्छ । यसबाट पालिकाहरुले बिकास निर्माण प्रयोजनमा न्युन खर्च गरेको प्रशासनिक प्रयोजनमा बढि खर्च भएको देखिन्छ । प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्दै प्राप्त अनुदान र राजस्व बाँडफाँडको रकम अधिकरूपमा बिकास निर्माण प्रयोजनमा परिचालन गरिनुपर्दछ ।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ८. | <p>योजना र कार्यान्वयन - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमोजिम स्थानीय तहले योजना बनाउँदा सहभागितमूलक, उत्पादनमूलक र प्रतिफल प्राप्त योजना छनौट गरी प्राथमिकिकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । साथै योजना बनाउँदा मध्यम तथा दीर्घकालीन प्रकृतिका आयोजनाहरुको सूची समेत तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले योजना छनौट गर्दा ऐनमा भएको व्यवस्था अनुरूप दीर्घकालीन प्रकृतिका ठुला योजना छनौट नगरी सानासाना र टुके योजनामा ठुलो मात्रामा बजेट छुट्याएको अवस्था छ । साना तथा टुके योजनामा बजेट विनियोजन गर्दा दिर्घकालीन उपलब्धी नहुने हुँदा यस्ता कार्यमा नियन्त्रण गरी ठुला योजना छनौटलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्दछ । यस वर्ष उपभोक्ता समितिमार्फत भएका कामका योजनाहरु देहायअनुसार छन्:</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.सं.</th> <th>विवरण</th> <th>योजना संख्या</th> <th>रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>रु १ लाख भन्दा कमको योजना</td> <td>४</td> <td>२२२०००</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>रु एक लाख एक देखि पाँच लाख सम्मका योजना</td> <td>१६</td> <td>४३०५०००</td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>रु ५ लाख देखि १० लाख सम्मका योजना</td> <td>३०</td> <td>१५८०००००</td> </tr> <tr> <td>४</td> <td>दश लाख एक देखि ५० लाख सम्मका योजना</td> <td>४१</td> <td>६३७६६०००</td> </tr> <tr> <td>५</td> <td>५० लाख भन्दा माथीका</td> <td>४</td> <td>४१५१२०००</td> </tr> <tr> <td></td> <td>जम्मा</td> <td>९५</td> <td>१२५६०५०००</td> </tr> </tbody> </table> | क्र.सं. | विवरण | योजना संख्या | रकम | १ | रु १ लाख भन्दा कमको योजना | ४ | २२२००० | २ | रु एक लाख एक देखि पाँच लाख सम्मका योजना | १६ | ४३०५००० | ३ | रु ५ लाख देखि १० लाख सम्मका योजना | ३० | १५८००००० | ४ | दश लाख एक देखि ५० लाख सम्मका योजना | ४१ | ६३७६६००० | ५ | ५० लाख भन्दा माथीका | ४ | ४१५१२००० | | जम्मा | ९५ | १२५६०५००० | |
| क्र.सं. | विवरण | योजना संख्या | रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | रु १ लाख भन्दा कमको योजना | ४ | २२२००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २ | रु एक लाख एक देखि पाँच लाख सम्मका योजना | १६ | ४३०५००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३ | रु ५ लाख देखि १० लाख सम्मका योजना | ३० | १५८००००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४ | दश लाख एक देखि ५० लाख सम्मका योजना | ४१ | ६३७६६००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५ | ५० लाख भन्दा माथीका | ४ | ४१५१२००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | जम्मा | ९५ | १२५६०५००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ९. | <p>कन्टिजेन्सी रकम खर्च: कन्टिजेन्सी वापतको खर्च रकम रु १३३३३२०। मध्ये भ्रमण तथा अनुगमन खर्च भनि रु ९६२२४३।०० खर्च लेखेको छ । भ्रमण तथा अनुगमन प्रतिवदेन राख्नु पर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ ।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| दफा | भौ.नं. मिति र ब्यहोरा | बेरुजू रकम |
|-----|---|------------|
| | संगठन तथा कर्मचारी व्यवस्थापन | |
| १०. | <p>कर्मचारी करार - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझको विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामको लागि तथा सेवा करारबाट लिईने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी सृजना गर्न नसकिने व्यवस्था छ । यस पालिकाको कुल स्वीकृत दरबन्दी ७४ जना मध्ये २२ जना स्थायी पदपूर्ति भई ५२ जना रिक्त रहेको देखिन्छ । रिक्त दरबन्दि मध्ये दरबन्दी भित्रका कार्यालय तथा स्वास्थ्य तर्फ १९ जनाको रु. ६४२५५३०। खर्च लेखेको छ भने दरबन्दी बाहिरको १ एक्सामेटर अपरेटर, २ हलुका सवारी चालक र ९ कार्यालय सहयोगी गरी जम्मा १२ जनाको रु. ३१०३७१०। खर्च लेखेको छ ।</p> <p>दरबन्दी बाहिरको पदमा नियुक्त गर्दा आन्तरिक आय तथा आवश्यकतालाई ध्यानमा राखि गर्नुपर्दछ ।</p> | |
| ११. | <p>आन्तरिक लेखापरीक्षण - स्थानीय तह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) मा स्थानीय तहले आर्थिक कारोबारको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारीताको आधारमा प्रत्येक चौमासिक समाप्त भएको एक महिना भित्र आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउनु पर्ने उल्लेख छ । यस स्थानीय तहले २०७७।७८ को सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारको आन्तरिक लेखापरीक्षण गराएको छैन । तसर्थ कानूनमा तोकिए बमोजिम आर्थिक कारोबारको आन्तरिक लेखापरीक्षण गराई आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने तर्फ ध्यान दिनुपर्दछ ।</p> | |
| | पदाधिकारी सुविधा | |
| १२. | <p>पदाधिकारी सुविधा - स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३ मा स्थानीय तहका पदाधिकारी सदस्य र सभाको सदस्यले आफू निर्वाचित भई अनुसूची-२ बमोजिम पद तथा गोपनीयताको शपथ लिई आफ्नो पदको काम कारवाही शुरु गरेको मितिबाट मासिक सुविधा वापत पाउने व्यवस्था गरेकोमा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको आदेशले २०७६ कार्तिक १ गते बाट लागू हुने गरी उक्त सुविधाहरु खारेज गरेको छ । जसअनुसार बागमती प्रदेश सरकारले प्रथम संशोधन गरी २०७७ वैशाख ३ मा राजपत्रमा प्रकाशन गरेको उक्त पदाधिकारी सुविधा सम्बन्धी ऐनको अनुसूचि १ मा उल्लेख भएको सुविधामात्र दिन मिल्ने देखिन्छ । पालिकाले पदाधिकारीको मासिक पारिश्रमिक सुविधामा वापत ३ महिनाको रु.८२५०००।०० खर्च लेखेको देखिन्छ ।</p> | |
| | <p>बैठक भत्ता - बागमती प्रदेश अन्तर्गत गाउँ तथा नगर सभाका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ (पहिलो संशोधन समेत) को दफा ३ अनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यले आफू निर्वाचित भई पद तथा गोपनीयताको शपथ लिई पदभार ग्रहण गरेको दिन देखि लागू हुने गरी तोकिए बमोजिम मासिक सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । तर पालिकाले पदाधिकारी सुविधा सम्बन्धी कानूनले तोक</p> | |

| दफा | भौ.नं. मिति र ब्यहोरा | बेरुजू रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-------|---------------------|-----|-----|-----------|----------|-----------|--------------------|-----|-----|-----------|----------|-----------|------------|----|-----|----------|---------|----------|--------|---|-----|---------|--------|---------|------------------------|----|------|----------|----------|----------|---------------------------------|------|---|----------|----------|-----------|--|-------|--|-----------|----------|-----------|--|--------------------|--|----------|----------|----------|--|-----------|--|-----------|-----------|-----------|--|
| | भन्दा बढी दिनको सभा, कार्यपालिका, वडा लगायतको बैठक भत्ता तथा सभा सञ्चालन खर्च बापत रु. ३८८८५५ खर्च गरेको छ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १३. | खाना तथा विविध खर्च - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यताको आधारमा विविध खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस स्थानीय तहले यो वर्ष खाना तर्फ रु ८९९३६०।०० सहित विविधतर्फ रु २१६४७७७।०० खर्च गरेको छ । यस्तो खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नु पर्दछ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | अनुदान प्राप्ति, वितरण र फिर्ता | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १४. | कृषि अनुदानको अनुगमन - सार्वजनिक निकायबाट उपलब्ध गराईएको अनुदानको सही सदुपयोग भए नभएको एकीन गर्न अनुदान उपलब्ध गराउने निकायले समय समयमा अनुगमन गर्नुपर्दछ । तर पालिकाले देहायअनुसार कृषि विकास तर्फ विभिन्न सहकारी संस्थालाई तथा ब्यक्तिलाई तरकारी र फलफुल बीउ तथा सामाग्री अनुदानमा रु. २५५००००।०० गरी रु. १२४६३८६ खर्च लेखेका छन । तर पालिकाबाट वितरण भएको अनुदानको सहि सदुपयोग भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन तथा सोबाट प्राप्त उपलब्धी मापन गरेको छैन । साथै अनुदान सम्बन्धमा स्थानीय अनुदान नीति तय गरेका छैनन् । तसर्थ अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाई संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट वितरण हुने अनुदानमा दोहोरोपना नहुने गरी अनुदानग्राहीको जीवनस्तरमा सुधार आएको यकिन गरी रकमको पूर्ण सदुपयोग गराउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्दछ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १५. | वितरण गर्न बाँकी कृषि सामान: बार्षिक योजना तथा कार्यक्रममा अनुदान वितरण गर्ने व्यवस्था छ । जुन आर्थिक वर्षको लागि अनुदान वितरण गर्नु पर्ने हो सोही वर्ष भित्र वितरण गर्नु पर्दछ । रु ४४९३३८।८५ मुल्यका प्लाष्टिक ड्रम गोलभेडा बीउ करौती सिकेचर प्लाष्टिक सामाग्रीहरु वितरण गर्न बाँकी देखिन्छ । यसले अनुदान प्राप्त कृषकको उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा असर पर्ने देखिन्छ । समय मै वितरण गरी लाभन्वित हुने अवस्था सिर्जना गर्नु पर्दछ । | ५६९६७३.५६ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>विवरण</th> <th>परिमाण</th> <th>दर</th> <th>मुल्य</th> <th>२५ प्रतिशत योगदान</th> <th>जम्मा</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>प्लाष्टिक ड्रम गोटा</td> <td>४९९</td> <td>२२७</td> <td>११३२७३.००</td> <td>२८३१८.२५</td> <td>१४१५९१.२५</td> </tr> <tr> <td>गोलभेडाबीउ प्याकेट</td> <td>३४६</td> <td>३५०</td> <td>१२११००.००</td> <td>३०२७५.००</td> <td>१५१३७५.००</td> </tr> <tr> <td>करौती गोटा</td> <td>४०</td> <td>४८०</td> <td>१९२००.००</td> <td>४८००.००</td> <td>२४०००.००</td> </tr> <tr> <td>सिकेचर</td> <td>४</td> <td>९८०</td> <td>३९२०.००</td> <td>९८०.००</td> <td>४९००.००</td> </tr> <tr> <td>प्लाष्टिक सामाग्री पिस</td> <td>१३</td> <td>४०८०</td> <td>५३०४०.००</td> <td>१३२६०.००</td> <td>६६३००.००</td> </tr> <tr> <td>प्याल्टिक सिन्पोलिन स्वबायर फिट</td> <td>१२४४</td> <td>७</td> <td>८७११२.००</td> <td>२१७७८.००</td> <td>१०८८९०.००</td> </tr> <tr> <td></td> <td>जम्मा</td> <td></td> <td>३९७६४५.००</td> <td>९९४११.२५</td> <td>४९७०५६.२५</td> </tr> <tr> <td></td> <td>मुल्य अभिवृद्धि कर</td> <td></td> <td>५१६९३.८५</td> <td>१२९२३.४६</td> <td>६४६१७.३१</td> </tr> <tr> <td></td> <td>कुल जम्मा</td> <td></td> <td>४४९३३८.८५</td> <td>११२३३४.७१</td> <td>५६१६७३.५६</td> </tr> </tbody> </table> | विवरण | परिमाण | दर | मुल्य | २५ प्रतिशत योगदान | जम्मा | प्लाष्टिक ड्रम गोटा | ४९९ | २२७ | ११३२७३.०० | २८३१८.२५ | १४१५९१.२५ | गोलभेडाबीउ प्याकेट | ३४६ | ३५० | १२११००.०० | ३०२७५.०० | १५१३७५.०० | करौती गोटा | ४० | ४८० | १९२००.०० | ४८००.०० | २४०००.०० | सिकेचर | ४ | ९८० | ३९२०.०० | ९८०.०० | ४९००.०० | प्लाष्टिक सामाग्री पिस | १३ | ४०८० | ५३०४०.०० | १३२६०.०० | ६६३००.०० | प्याल्टिक सिन्पोलिन स्वबायर फिट | १२४४ | ७ | ८७११२.०० | २१७७८.०० | १०८८९०.०० | | जम्मा | | ३९७६४५.०० | ९९४११.२५ | ४९७०५६.२५ | | मुल्य अभिवृद्धि कर | | ५१६९३.८५ | १२९२३.४६ | ६४६१७.३१ | | कुल जम्मा | | ४४९३३८.८५ | ११२३३४.७१ | ५६१६७३.५६ | |
| विवरण | परिमाण | दर | मुल्य | २५ प्रतिशत योगदान | जम्मा | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| प्लाष्टिक ड्रम गोटा | ४९९ | २२७ | ११३२७३.०० | २८३१८.२५ | १४१५९१.२५ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| गोलभेडाबीउ प्याकेट | ३४६ | ३५० | १२११००.०० | ३०२७५.०० | १५१३७५.०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| करौती गोटा | ४० | ४८० | १९२००.०० | ४८००.०० | २४०००.०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| सिकेचर | ४ | ९८० | ३९२०.०० | ९८०.०० | ४९००.०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| प्लाष्टिक सामाग्री पिस | १३ | ४०८० | ५३०४०.०० | १३२६०.०० | ६६३००.०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| प्याल्टिक सिन्पोलिन स्वबायर फिट | १२४४ | ७ | ८७११२.०० | २१७७८.०० | १०८८९०.०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | जम्मा | | ३९७६४५.०० | ९९४११.२५ | ४९७०५६.२५ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | मुल्य अभिवृद्धि कर | | ५१६९३.८५ | १२९२३.४६ | ६४६१७.३१ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | कुल जम्मा | | ४४९३३८.८५ | ११२३३४.७१ | ५६१६७३.५६ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| दफा | भौ.नं. मिति र ब्यहोरा | बेरुजू रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|---------------|--------------------------|--------|------|---------------------|---------|-----------|---------------|--------|------------|--|---------|-----------|-------------------------------------|--------|------|----------------------------------|-------|---------|---------------------------------|--------|-----------|------------------------|--------|-----------|----------------------|---------|-----------|-----------------------------------|-------|---------|----------------------------|--------|---------|-------------------|--------|-----------|-------------------|--------|------------|------------------|--------|-----------|-----------|---|----------|--|---------|------------|--|
| | अनुदानको सहि सदुपयोग नहुने बीउ तथा सामाग्रीको गुणस्तर घट्ने तथा कृषकको आयमा समेत सुधार नहुने देखिएकोले यसमा गरेको खर्च उचित देखिएन । समय मै अनुदान लाभन्वित समुहलाई वितरण गरिनुपर्दछ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | कर दस्तुर एवं आन्तरिक आय | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १६. | कर तथा शुल्क असुली - स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, ५८ र ५९ मा एकीकृत सम्पत्ति कर र घरजग्गा कर, घरजग्गा बहाल कर, व्यवसाय कर र बहाल विरौटी शुल्क उठाउने व्यवस्था रहेको छ । ती आय लगायत अन्य शीर्षकमा आय अनुमान र असुली स्थिति निम्नानुसार रहेको देखिन्छ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | गोसाईकुण्ड गाउँपालिका, स्याफुबेसी, रसुवाको आ.व. २०७६/०७७ को आन्तरिक श्रोतको विवरण | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>विवरण</th> <th>अनुमानित बजेट</th> <th>असुली रकम रु.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>११३१३ एकीकृत सम्पत्ति कर</td> <td>३०००००</td> <td>०.००</td> </tr> <tr> <td>११३१४ भूमिकर/मालपोत</td> <td>१००००००</td> <td>१६४७८६.२०</td> </tr> <tr> <td>११३२१ बहाल कर</td> <td>३०००००</td> <td>१८९४६३८.६८</td> </tr> <tr> <td>१४१५१ सरकारी सम्पत्तीको बहालबाट प्राप्त आय</td> <td>३००००००</td> <td>१०३६८०.००</td> </tr> <tr> <td>१४१५९ अन्य श्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी</td> <td>५०००००</td> <td>०.००</td> </tr> <tr> <td>१४२१३ अन्य विक्रीबाट प्राप्त रकम</td> <td>५००००</td> <td>३८००.००</td> </tr> <tr> <td>१४२२९ अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क</td> <td>२०००००</td> <td>३४६०००.००</td> </tr> <tr> <td>१४२४२ नक्सा पास दस्तुर</td> <td>५०००००</td> <td>३१४३२९.००</td> </tr> <tr> <td>१४२४३ शिफारिस दस्तुर</td> <td>१०८६१९८</td> <td>१०७०२०.००</td> </tr> <tr> <td>१४२४४ व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर</td> <td>५००००</td> <td>१६००.००</td> </tr> <tr> <td>१४२४५ नाता प्रमाणित दस्तुर</td> <td>५०००००</td> <td>१६००.००</td> </tr> <tr> <td>१४१४९ अन्य दस्तुर</td> <td>२०००००</td> <td>१४९३०१.०१</td> </tr> <tr> <td>१४५२९ अन्य राजस्व</td> <td>१०००००</td> <td>३८९२७५२.६२</td> </tr> <tr> <td>१४६११ व्यवसाय कर</td> <td>३०००००</td> <td>४२४७१४.००</td> </tr> <tr> <td>३२१२१ नगद</td> <td>०</td> <td>३६४०९.००</td> </tr> <tr> <td></td> <td>८०८६१९८</td> <td>७४४०६३०.५१</td> </tr> </tbody> </table> | विवरण | अनुमानित बजेट | असुली रकम रु. | ११३१३ एकीकृत सम्पत्ति कर | ३००००० | ०.०० | ११३१४ भूमिकर/मालपोत | १०००००० | १६४७८६.२० | ११३२१ बहाल कर | ३००००० | १८९४६३८.६८ | १४१५१ सरकारी सम्पत्तीको बहालबाट प्राप्त आय | ३०००००० | १०३६८०.०० | १४१५९ अन्य श्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी | ५००००० | ०.०० | १४२१३ अन्य विक्रीबाट प्राप्त रकम | ५०००० | ३८००.०० | १४२२९ अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क | २००००० | ३४६०००.०० | १४२४२ नक्सा पास दस्तुर | ५००००० | ३१४३२९.०० | १४२४३ शिफारिस दस्तुर | १०८६१९८ | १०७०२०.०० | १४२४४ व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर | ५०००० | १६००.०० | १४२४५ नाता प्रमाणित दस्तुर | ५००००० | १६००.०० | १४१४९ अन्य दस्तुर | २००००० | १४९३०१.०१ | १४५२९ अन्य राजस्व | १००००० | ३८९२७५२.६२ | १४६११ व्यवसाय कर | ३००००० | ४२४७१४.०० | ३२१२१ नगद | ० | ३६४०९.०० | | ८०८६१९८ | ७४४०६३०.५१ | |
| विवरण | अनुमानित बजेट | असुली रकम रु. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ११३१३ एकीकृत सम्पत्ति कर | ३००००० | ०.०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ११३१४ भूमिकर/मालपोत | १०००००० | १६४७८६.२० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ११३२१ बहाल कर | ३००००० | १८९४६३८.६८ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १४१५१ सरकारी सम्पत्तीको बहालबाट प्राप्त आय | ३०००००० | १०३६८०.०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १४१५९ अन्य श्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी | ५००००० | ०.०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १४२१३ अन्य विक्रीबाट प्राप्त रकम | ५०००० | ३८००.०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १४२२९ अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क | २००००० | ३४६०००.०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १४२४२ नक्सा पास दस्तुर | ५००००० | ३१४३२९.०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १४२४३ शिफारिस दस्तुर | १०८६१९८ | १०७०२०.०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १४२४४ व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर | ५०००० | १६००.०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १४२४५ नाता प्रमाणित दस्तुर | ५००००० | १६००.०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १४१४९ अन्य दस्तुर | २००००० | १४९३०१.०१ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १४५२९ अन्य राजस्व | १००००० | ३८९२७५२.६२ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १४६११ व्यवसाय कर | ३००००० | ४२४७१४.०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३२१२१ नगद | ० | ३६४०९.०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ८०८६१९८ | ७४४०६३०.५१ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १६.१. | पालिका भित्र रहेका करदाताहरुको अभिलेख व्यवस्थित नरहेको एवं बुझाउन ल्याएको अवस्थामा मात्र कर एवं शुल्क बुझी परिपाटी रहेकोले उल्लिखित असुली यथार्थ मात्र सक्ने अवस्था देखिएन । तसर्थ आफ्नो क्षेत्रभित्र करदाताको अभिलेख अद्यावधिक गरी करको दायारामा ल्याउनु पर्दछ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १६.२. | अन्य राजस्व वापत संकलन भएको राजस्व रु ३८९२७५२.६२ के वापत कति प्राप्त भएको हो विवरणा प्राप्त नभएकोले एकिन हुन सकिएन । यस सम्बन्धमा विस्तृत विवरण बनाई हिसाव स्पष्ट देखिने गरी राख्नु पर्दछ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १६.३. | राजस्व संकलन भएको भोली पल्ट सम्ममा रकम सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नु पर्नेमा कार्यालयले राजस्व बैंक जम्मा हप्तामा एक दिन गर्ने गरेको देखिन्छ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १६.४. | सरकारी सम्पत्तीको बहालबाट प्राप्त आयको अनुमान ३००००००।०० लाख रहेकोमा रु १०३६८०।०० मात्र आम्दानी गरेको देखिन्छ । एक्सभेटर लगबुक अद्यावधिक गरेको पाईएन । साथै नगदी रसिद पेश नगरेकोले आय एकिन हुन सकेन । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| दफा | भौ.नं. मिति र व्यहोरा | वेरुजू र | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|-------------------|----------------------|--|------------------------|-------------------------|------------------------|--------|----------|-------------------------------------|------------------|---------|-------------|--------|--|--------------|----------------------------------|-------------------|---------|--|---------|--|--|
| | एकसाभेटरको आम्दानी भन्दा कार्यसञ्चालन खर्च बढी देखिएकोले यस तर्फ कार्यालयले ध्यान दिनुपर्दछ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १६.५. | रसिद नियन्त्रण खाता अघावधिक गरेको देखिएन । नगदी रसिद जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा तोकिएको हुनुपर्दछ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १६.६. | विषय तथा क्षेत्रगत राजस्व प्रक्षेपण यथार्थ परक बनाउनुपर्दछ । यसको लागि राजस्व परामर्श समितीले अध्ययन अनुसन्धान गरी गराई क्रियाशिलता देखाउनुपर्दछ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | उपभोक्ता समिति मार्फत कार्य | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १७. | उपभोक्ता समिति दर्ता - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ मा उपभोक्ता समितिबाट कार्य गराउने व्यवस्था छ । संस्था दर्ता ऐन २०३४ को दफा ३ मा कुनैपनि संस्था विधानसहित दर्ता नभएमा कानूनी मान्यता दिन मिल्ने देखिदैन । पालिकाले यो वर्ष विभिन्न ५३ उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरी कार्य गराई रु. ५६२७३९१४।०० भुक्तानी गरेकोमा यसरी कार्य गर्न गठन भएका उपभोक्ता समिति ऐनको उक्त व्यवस्थाअनुसार दर्ता भएको पाइएन । त्यस्ता समितिहरू स्थानीय स्तरमा सञ्चालित आयोजनाको निर्माण गर्न अस्थायी रूपमा गठन हुने र कार्य सम्पन्न पश्चात् समिति विघटन हुने हुँदा निर्माण कार्य सम्पन्न भएका आयोजना सञ्चालन तथा मर्मत सम्भारमा ती समितिलाई जिम्मेवार बनाउन कठिनाई हुने र त्यस्ता समितिहरूले आयव्यको लेखापरीक्षणसमेत नगराउने भएकोले स्थायी संयन्त्रमार्फत् काम गर्ने, गराउने गरी सुधार हुनुपर्दछ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १८. | हेभी इक्विपमेण्टको प्रयोग - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ को नियम उपनियम (९) मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट सञ्चालित हुने निर्माण कार्यमा डोजर, एकसाभेटर, लोडर, रोलर, ग्रेडर जस्ता हेभी मेशिनरी प्रयोग गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ । सो नियमावलीको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा लागत अनुमान तयार गर्दाको समयमा हेभी मेशिन प्रयोग गर्नुपर्ने जटिल प्रकृतिको कार्य भनी उल्लेख भएको रहेछ भने सम्बन्धित प्राविधिकको सिफारिशमा सार्वजनिक निकायबाट सहमति लिई त्यस्ता मेशिन प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख छ । पालिका अन्तर्गत सञ्चालित अधिकांश सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिसँग सम्बन्धित योजनाका उपभोक्ता समितिहरूले डोजर, एकसाभेटर लगायतका हेभी मेशिन प्रयोग गर्ने गरेको पाइए तापनि नियमावलीको व्यवस्था बमोजिम सम्बन्धित प्राविधिकको सिफारिश गराई गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयबाट सहमति लिएको केही केहीमा देखिएन । नियमावलीको व्यवस्था अनुरूप कार्य गराउनुपर्दछ । यसका केही उदाहरणहरू यसप्रकार रहेका छन् | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>गोभौ.नं./मिति</th> <th>उपभोक्ता समितिको नाम</th> <th>कामको विवरण</th> <th>भुक्तानी रकम</th> <th>प्रयोग गरेको हेभी उपकरण</th> <th>हेभी उपकरणमा भएको खर्च</th> <th>कैफियत</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१४०।२०७६</td> <td>ओबो कृषि सडक निर्माण उपभोक्ता समिति</td> <td>कृषि सडक निर्माण</td> <td>१००००००</td> <td>डोजर र लोडर</td> <td>२४०२८०</td> <td></td> </tr> <tr> <td>६२।२०७७।२।२०</td> <td>ध्याडसाप कृषि सडक उपभोक्ता समिति</td> <td>ध्याडसाप कृषि सडक</td> <td>१८०००००</td> <td>महजन निर्माण सेवा उद्योग बिदुर डोजर एकसाभेटर बकेट तथा ब्रेकर</td> <td>२४००१२०</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | गोभौ.नं./मिति | उपभोक्ता समितिको नाम | कामको विवरण | भुक्तानी रकम | प्रयोग गरेको हेभी उपकरण | हेभी उपकरणमा भएको खर्च | कैफियत | १४०।२०७६ | ओबो कृषि सडक निर्माण उपभोक्ता समिति | कृषि सडक निर्माण | १०००००० | डोजर र लोडर | २४०२८० | | ६२।२०७७।२।२० | ध्याडसाप कृषि सडक उपभोक्ता समिति | ध्याडसाप कृषि सडक | १८००००० | महजन निर्माण सेवा उद्योग बिदुर डोजर एकसाभेटर बकेट तथा ब्रेकर | २४००१२० | | |
| गोभौ.नं./मिति | उपभोक्ता समितिको नाम | कामको विवरण | भुक्तानी रकम | प्रयोग गरेको हेभी उपकरण | हेभी उपकरणमा भएको खर्च | कैफियत | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १४०।२०७६ | ओबो कृषि सडक निर्माण उपभोक्ता समिति | कृषि सडक निर्माण | १०००००० | डोजर र लोडर | २४०२८० | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ६२।२०७७।२।२० | ध्याडसाप कृषि सडक उपभोक्ता समिति | ध्याडसाप कृषि सडक | १८००००० | महजन निर्माण सेवा उद्योग बिदुर डोजर एकसाभेटर बकेट तथा ब्रेकर | २४००१२० | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| दफा | भौ.नं. मिति र ब्यहोरा | | | | | बेरुजू रकम |
|---------------------|---|------------------|--|---------|--------------------------|------------|
| १६९।२०७७।३।३० | | | | ११९६४०० | | १०२८३०० |
| १५५।२०७७।३।२८ | खाम्लिङ कृषि सडक उपभोक्ता समिती | | | ९५९४१ | डोजर | ९५९४१ |
| १६।२०७७।३।३० प्रवेश | टिमुरे खैदी कृषि सडक बडा न २ | कृषि सडक निर्माण | | २४२०००० | डोजर गुन्चे निर्माण सेवा | २०८७००० |
| | नरगोबे देखि कोमित हुदै स्यो सम्म कृषि सडक | कृषि सडक निर्माण | | २८६९२०० | डोजर | ७७६००५ |
| | जम्मा | | | | | |

१९. उपभोक्ता समितिले निर्माण ब्यवसायीबाट गराएको कार्य - गोसाईकुण्ड गाँउपालिका रसुवाको सार्वजनिक खरिद पहिलो संसोधन नियमावली २०७६ को नियम १०७(११) मा उपभोक्ता समिती वा लाभग्राही समुदायले पाएको काम आफैले सम्पन्न गर्नुपर्ने र कुनै निर्माण ब्यावसायीबाट गराउन सकिने छैन भन्ने व्यवस्था छ । धुन्चे खोदोल कृषि सडक उपभोक्ता समितीले ७३६० मिटर धुन्चे खोदोल कृषि सडक निर्माण कार्यमा महर्जन निर्माण सेवा विदुर ९ नुवाकोटलाई लगाई कार्य गरेको देखिन्छ । यसरी भुक्तान भएको रकम नियम सम्मत देखिएन । नियमको पालना गरी निर्माण कार्य उपभोक्ता समिती देखि गराउनुपर्दछ ।

६७२००००।५

| गोभौन./मिति | उपभोक्ता समितिको नाम | कामको विवरण | लागत अनुमान | कार्यालयबाट भुक्तानी रकम | निर्माण ब्यवसायीको बील रकम | निर्माण ब्यवसायी |
|---------------|----------------------|----------------------------------|-------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| ३।२०७६।६।६ | धुन्चे खोदोल | कृषि सडक निर्माण पहिलो रनिग बील | ७०००४२२।११ | २७३०००० | २०५५।२८ | महर्जन निर्माण सेवा ९ विदुर ९ नुवाकोट |
| २०।२०७६।१०।०५ | कृषि सडक | कृषि सडक निर्माण दोश्रो रनिग बील | | २९००००० | २६६२।९०९ | |
| १२२।२०७७।३।२३ | उपभोक्ता समिती | कृषि सडक निर्माण तेथो रनिग बील | | २९७०००० | २००२७।२।५० | |
| | जम्मा | | | ७०००००० | ६७२००००।५० | |

२०. सम्झौता अनुसार कार्य नभएको - उपभोक्ता समितिसंग निर्माण कार्यको सम्झौता गर्दा एक आर्थिक वर्ष भित्र सम्पन्न हुने गरी गर्नुपर्दछ । तर पालिका र टिमुरे खैदी कृषि सडक निर्माण कार्य उपभोक्ता समिति बीच टिमुरे खैदी कृषि सडक निर्माण गर्न रु.५०२५४२२।६२ मा सम्झौता भएकोमा यस वर्ष रु २५३०४२९।०० (एकजाभेटर सहयोग सहितको कार्य रु ४०३४१७८।००) को मात्रा कार्य भएको पाईयो । हाल सम्म कार्यसम्पन्न गरी प्रतिबदेन गरेको देखिदैन । सालवसालि रुपमा बजेट विनियोजन हुने यस्ता योजनाहरुको कार्य समयमा सम्पन्न नहुदाँ पालिकाको विकास निर्माणको कार्य प्रभावित भएको हुनुका साथै २०७८।७९ मा समेत उक्त योजनामा बजेट विनियोजन भएको पाईएन । तसर्थ समयमै कार्य सम्पन्न हुने गरी उपभोक्ता समितिसंग सम्झौता गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

| कार्य सम्पन्न भएको परीमाण | दर रु | सम्झौताको दर अनुसार | एक्जाभेटर सहयोग पछिको दर रु | एक्जाभेटर सहयोग पछिको मुल्य |
|---------------------------|--------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| २३६०७।६५ | ७५।२२ | १७७५७६७।४३३ | ४७।८७ | ११३००९८।२१ |
| ६८३५।३४ | १८८।७३ | १,२९०,०३३।७१ | ११४।९० | ७८५३८०।५७ |
| २२९७।८२ | ४२१।४३ | ९६८,३७०।२८ | रु २६७।६२ | ६१४९४२।५९ |
| | | ४०३४१७८ | | २५३०४२१ |

| दफा | भौ.नं., मिति र व्यहोरा | बेरुजू रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------|-----------------------|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|--------|-------------|---|---|--------|-------------------|---------|--------|---|--------|--------|-----------------------------|---|---|---|----|---|---------------------|---|---|---|---|---|----------------------------|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|---|----|--|
| | खरिद व्यवस्थापन | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २१. | डीपीआर खर्च — बजेट व्यवस्था भई कार्यान्वयन हुने आयोजनाको मात्र गुरुयोजना डीपीआर लगायतको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्दछ । यस स्थानीय तहले यो वर्ष स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रम अनुसार देहायबमोजिमको कार्य परामर्शदाताबाट गराई प्रतिवेदन प्राप्त गरेको छ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>कार्य विवरण</th> <th>परामर्शदाता</th> <th>स्वीकृत रकम</th> <th>खर्च रकम</th> <th>अध्ययनबाट निर्धारण भएको आयोजनाको लागत</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>वडा नं १ भवनको डिपीआर</td> <td>लाइटांग रसुवा ईन्जिनियरीग प्रा लि</td> <td>५०००००</td> <td>४७००८०</td> <td>३१४११७१०।९४</td> </tr> <tr> <td>गाप का विभिन्न स्थानमा सौर्य बस्ती जडान</td> <td>इन्भेन्टीभ पावर एण्ड कन्सल्टेन्सी प्रा लि</td> <td>३०००००</td> <td>२९६२८६</td> <td>१७९६२८६</td> </tr> <tr> <td>जम्मा:</td> <td></td> <td>८०००००</td> <td>७६६३६६</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | कार्य विवरण | परामर्शदाता | स्वीकृत रकम | खर्च रकम | अध्ययनबाट निर्धारण भएको आयोजनाको लागत | वडा नं १ भवनको डिपीआर | लाइटांग रसुवा ईन्जिनियरीग प्रा लि | ५००००० | ४७००८० | ३१४११७१०।९४ | गाप का विभिन्न स्थानमा सौर्य बस्ती जडान | इन्भेन्टीभ पावर एण्ड कन्सल्टेन्सी प्रा लि | ३००००० | २९६२८६ | १७९६२८६ | जम्मा: | | ८००००० | ७६६३६६ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| कार्य विवरण | परामर्शदाता | स्वीकृत रकम | खर्च रकम | अध्ययनबाट निर्धारण भएको आयोजनाको लागत | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| वडा नं १ भवनको डिपीआर | लाइटांग रसुवा ईन्जिनियरीग प्रा लि | ५००००० | ४७००८० | ३१४११७१०।९४ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| गाप का विभिन्न स्थानमा सौर्य बस्ती जडान | इन्भेन्टीभ पावर एण्ड कन्सल्टेन्सी प्रा लि | ३००००० | २९६२८६ | १७९६२८६ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| जम्मा: | | ८००००० | ७६६३६६ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | यस्तो अध्ययन कार्य गराउँदा लाग्ने खर्चको लागत अनुमान तयार गर्दा कुनै आधार नलिई स्वीकृत बजेट बमोजिमकै रकम खर्च गरेको उपयुक्त देखिएन । डी.पी.आर.तयार गर्दा गाउँपालिकाको प्राविधिक जनशक्ति प्रयोग नगर्नाको कारण स्पष्ट गर्दै आगामी दिनमा आगामी दिनमा गाउँपालिकाको प्राविधिक जनशक्तिबाट यस्तो कार्य गराउनु पर्दछ । साथै यसरी अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएका आयोजनाहरु कार्यान्वयनमा गएको समेत नदेखिएकोले खर्चको सार्थकता समेत देखिएन । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २२. | सवारी साधन खरिद - अर्थ मन्त्रालयको स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा कार्यान्वयन आर्थिक व्यवस्थापन तथा सम्पती हस्तान्तरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ को निर्देशन नं. ५.१५ अनुसार नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइएको बजेट तथा स्रोत साधनबाट कार्यालयको नियमित प्रयोजनको लागि सवारी साधन खरिद गर्न नपाईने व्यवस्था छ । लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त विवरण अनुसार पालिकाले १ थान दुई पांगेर सवारी साधन खरिदमा रु.२८८९००।०० खर्च गरेका छन् । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | शिक्षातर्फ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २३. | शिक्षक दरबन्दी र पदपूर्ति - स्थानीय तह अन्तर्गत रहेका सामुदायिक विद्यालयहरुमा दरबन्दी अनुसार शिक्षकको पदपूर्ति भई नियमित पठनपाठनको व्यवस्था हुनुपर्दछ । यस स्थानीय तह अन्तर्गत विभिन्न तहका १५ सामुदायिक विद्यालयहरुको शिक्षक दरबन्दी र पदपूर्तिको अवस्था एवं विद्यार्थीको संख्या निम्नानुसार रहेको देखिन्छ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>सि नं.</th> <th>विद्यालयको नाम/ठेगाना</th> <th>शिक्षक दरबन्दी</th> <th>पदपूर्ति</th> <th>करार</th> <th>विद्यार्थी</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>रसुवा मा. वि.धुन्चे</td> <td>१८</td> <td>१३</td> <td>५</td> <td>४८०</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>सरस्वती आ.वि ठाडे</td> <td>६</td> <td>४</td> <td>२</td> <td>५३</td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>गाउँ फर्क प्रा.वि.बोकेझुण्ड</td> <td>३</td> <td>२</td> <td>१</td> <td>१६</td> </tr> <tr> <td>४</td> <td>भिमली प्रा.वि.भिमली</td> <td>३</td> <td>२</td> <td>१</td> <td>६</td> </tr> <tr> <td>५</td> <td>ज्ञान ज्योती प्रा.वि नागुड</td> <td>१</td> <td>१</td> <td></td> <td>७</td> </tr> <tr> <td>६</td> <td>भिमसेन प्रा.वि.ठुलो भाखु</td> <td>८</td> <td>५</td> <td>३</td> <td>४४</td> </tr> </tbody> </table> | सि नं. | विद्यालयको नाम/ठेगाना | शिक्षक दरबन्दी | पदपूर्ति | करार | विद्यार्थी | १ | रसुवा मा. वि.धुन्चे | १८ | १३ | ५ | ४८० | २ | सरस्वती आ.वि ठाडे | ६ | ४ | २ | ५३ | ३ | गाउँ फर्क प्रा.वि.बोकेझुण्ड | ३ | २ | १ | १६ | ४ | भिमली प्रा.वि.भिमली | ३ | २ | १ | ६ | ५ | ज्ञान ज्योती प्रा.वि नागुड | १ | १ | | ७ | ६ | भिमसेन प्रा.वि.ठुलो भाखु | ८ | ५ | ३ | ४४ | |
| सि नं. | विद्यालयको नाम/ठेगाना | शिक्षक दरबन्दी | पदपूर्ति | करार | विद्यार्थी | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | रसुवा मा. वि.धुन्चे | १८ | १३ | ५ | ४८० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २ | सरस्वती आ.वि ठाडे | ६ | ४ | २ | ५३ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३ | गाउँ फर्क प्रा.वि.बोकेझुण्ड | ३ | २ | १ | १६ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४ | भिमली प्रा.वि.भिमली | ३ | २ | १ | ६ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५ | ज्ञान ज्योती प्रा.वि नागुड | १ | १ | | ७ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ६ | भिमसेन प्रा.वि.ठुलो भाखु | ८ | ५ | ३ | ४४ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| दफा | भौ.नं. मिति र व्यहोरा | | | | | बेरजू रकम |
|-----|-----------------------|-----------------------------------|----|----|----|-----------|
| | ७ | कोमिन श्यामेवाडफेल म.वि. | १९ | १३ | ६ | ४२६ |
| | ८ | नेपाल राष्ट्रिय आ.वि.ठुलोस्याफ्रु | ६ | ५ | १ | १२ |
| | ९ | नेपाल राष्ट्रिय प्रा.वि.मेन्दो | २ | २ | ० | १७ |
| | १० | नेपाल राष्ट्रिय आ.वि.धुमन | ५ | १ | ४ | ३३ |
| | ११ | अरुणोदय प्रा.वि.दाहालफेदी | २ | २ | ० | ९ |
| | १२ | नेपाल राष्ट्रिय आ.वि.टिमुरे | ८ | ६ | २ | ७३ |
| | १३ | नेपाल राष्ट्रिय प्रा.वि.खाम्जिङ | २ | २ | | १० |
| | १४ | लिडलिङ प्रा.वि.लिडलिङ | ३ | ३ | | ११ |
| | १५ | नेपाल राष्ट्रिय प्रा.वि.लाङटाङ | २ | २ | | ९ |
| | | जम्मा | ८८ | ६३ | २५ | १२०६ |

यस सम्बन्धमा निम्नानुसार देखिएको छः

२३.१.

१० जना भन्दा कम विद्यार्थी रहेको विद्यालय ४ वटा रहेको छन् । एउटा विद्यालयमा ६ जना विद्यार्थीका लागि ३ जना शिक्षक रहेको देखिन्छ । शिक्षा नियमावली २०५९ को अनुसूची ३ अनुसार हिमाली जिल्लाको हकमा ४०:१ हुनुपर्नेमा सो अनुसार नरहेको देखिदा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात मिलाई शिक्षक दरवन्दी मिलान गर्नुपर्दछ ।

| सि.नं. | विद्यालयको नाम/ठेगाना | शिक्षक दरवन्दी | पदपूर्ती | करार | विद्यार्थी |
|--------|-----------------------------------|----------------|----------|------|------------|
| ३ | गाउँ फर्क प्रा.वि.बोकेझुण्ड | ३ | २ | १ | १६ |
| ४ | भिमली प्रा.वि.भिमली | ३ | २ | १ | ६ |
| ८ | नेपाल राष्ट्रिय आ.वि.ठुलोस्याफ्रु | ६ | ५ | १ | १२ |
| ११ | अरुणोदय प्रा.वि.दाहालफेदी | २ | २ | ० | ९ |
| १३ | नेपाल राष्ट्रिय प्रा.वि.खाम्जिङ | २ | २ | | १० |
| १४ | लिडलिङ प्रा.वि.लिडलिङ | ३ | ३ | | ११ |
| १५ | नेपाल राष्ट्रिय प्रा.वि.लाङटाङ | २ | २ | | ९ |
| | जम्मा | २१ | १८ | ३ | ७३ |

२४.

औषधी खरिद - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५ को उपनियम १(क) मा बिस लाख रुपैयाँसम्मको औषधिजन्य मालसामान उत्पादकले राष्ट्रिय स्तरको समाचार पत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको बिक्री मूल्यमा सोझै खरिद गर्न सकिने व्यवस्था छ । यस स्थानीय तहले सिलवन्दी दरभाउ पत्रको माध्यमद्वारा रु.१६९२५००।०० का औषधि खरिद गरेको छ । यस सम्बन्धी देखिएको व्यहोराहरु निम्नानुसार छनः

२४.१.

खरिद गरेका उक्त औषधि कुन औषधि कम्पनीबाट उत्पादन भएको हो र सोको मूल्य राष्ट्रिय पत्रपत्रिकामा प्रकाशन समेत भएको नदेखिएको ।

२४.२.

औषधिको खर्च घटाउदा मागफारामको आधारमा घटाउनु पर्ने एकमुष्ट घटाउने गरेको । तसर्थ औषधिको खरिद, आपूर्ती, दाखिला तथा खर्चको विवरण अद्यावधिक हुने गरी अभिलेख राख्ने, तोकिएको गुणस्तर अनुसारकै औषधि प्राप्त भएको नभएको एकीन गरी हस्तान्तरण तथा खरिद गरिएको औषधिको विवरण खुल्ने गरी अभिलेख राख्ने तथा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बाँकी रहेको औषधिहरु जिम्मेवारी जिन्सी अभिलेख व्यवस्थित गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्दछ ।

भौ.नं. मिति र ब्यहोरा

सामाजिक सुरक्षातर्फ

२५.

बैंक मार्फत भत्ता वितरण नगरेको: सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ले लाभग्राहीको नाम दर्ता र नवीकरण, लगत कट्टा तोकिएको मिति भित्रै परिचयपत्र अनिवार्य रूपमा नवीकरण गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्नुपर्ने, प्रत्येक वर्ष लगत अध्यावधिक गरी लाभग्राहीको संख्या यकिन गर्नुपर्ने, भत्ता वितरण गर्दा बैंक मार्फत भत्ता वितरण गर्नुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नियमित रूपमा अनुगमन गर्नुपर्ने, केन्द्रिकृत सूचना प्रणालीमा प्रविष्टी गरि अध्यावधिक गर्ने जिम्मेवारी सामाजिक सुरक्षाको अख्तियारी पाउने सम्बन्धित स्थानीय निकायको हुने व्यवस्था गरेको छ । यस पालिकाले वार्षिक भत्ता औपत ६४० जनालाई रु २०१४५८००। वितरण गरेको छ । अधिकांश न्याप्वे सहीछापका आधारमा बुझ्नेको भर्पाई गराई वितरण गरेको देखिएको हुँदा जोखिम न्यूनीकरण तथा सेवाग्राहीलाई बैङ्किग प्रणालीमा आबद्ध गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिनुपर्दछ । बडा सचिवहरुले पेशकी लिई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेकोमा रु ६३६२८००।०० पेशकी फर्छोट केही डिलो ०७८ साल भाद्र तिर मात्र गरेको देखियो । हालसम्म पनि आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को समेत पेशकी फर्छोट गरेको देखिदैन । यसमा सुधार हुनुपर्दछ ।

नाम

वार्षिक कायम संख्या

पुरुष

महिला

जम्मा

जेष्ठ नागरिक

१७७

२४०

४१७

दलित

१

१

२

जेष्ठ नागरिक एकल महिला

०

६४

६४

विधुवा

०

११८

११८

पुर्ण अपांग

१०

५

१५

अतिआशक्त अपांग

१०

५

१५

दलित बालबालिका

६

३

९

जम्मा

२०४

४३६

६४०

विपद् व्यवस्थापन

२६.

समिति गठन- विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(१) मा प्रत्येक स्थानीय तहले अध्यक्ष तथा प्रमुखको अध्यक्षतामा बढीमा १५ जना सदस्य रहेको स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले ऐनमा तोकिएबमोजिमको समिति गठन गरेको/समिति गठन भएतापनि २ वटा मात्र बैठक बस्न सकेको देखिन्छ । ऐनमा तोकिएबमोजिम समिति गठन गरी तोकिएको काम, कर्तव्य र अधिकारमा सक्रिय बनाउनुपर्दछ ।

२७.

कार्य योजना - विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(२) तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७६ को नियम (८) मा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारमा परिषद्/कार्यकारी/प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिबाट स्वीकृत एकीकृत

| दफा | भौ.नं., मिति र ब्यहोरा | बेरुजू रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---|-----------|-------------|--------|-----------------|--|------------|--|----------------------------|---------|----------------------|--------|--------------------|---|---|--------|---------------------|---------|---------------------------------|--------|----------------------------------|--------|-----------|--------|-----------------|--------|-------------------|--------|--------------------|--------|-----------------|-------|---------------|---|------------------------------|-------|--|--|------------|-----------|--|--|--------------|-------|--|--|-----------|--------|--|--|-------|-----------|-------|---------|--|---------|--|
| | क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रम अनुरूप हुने गरी स्थानीय विपद् व्यवस्थापन योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, बजेट विनियोजन गर्न लगाउने, सबै पक्षको समन्वय र संलग्न गराउने, विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य समिति गठन गर्ने, प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार र राहत व्यवस्था गर्ने, ऐन बमोजिम कार्य गरे/नगरेको अनुगमन गर्ने, विपद् सूचना प्रणाली विकास र सञ्चालन, तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने, विपद् घरपरिवारको पहिचान गर्ने, कर्मचारी क्षमता अभिवृद्धिको व्यवस्था र कार्यक्रम सहितको कार्ययोजना तयारी गरी लागू गर्ने/गराउन सम्बन्धी व्यवस्था छ । पालिकाले ऐन तथा नियमावलीमा तोकिएका कार्यहरू मध्ये ऐन बमोजिम कार्य गरे/नगरेको अनुगमन गर्ने, विपद् सूचना प्रणाली विकास र सञ्चालन, तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने, विपद् घरपरिवारको पहिचान गर्ने, कर्मचारी क्षमता अभिवृद्धिको व्यवस्था र कार्यक्रम सहितको कार्ययोजना तयारी गरी कार्यान्वयन गरेको पाइएन । ऐन तथा नियमावलीको पालना गर्नु/गराउनु पर्दछ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २८. | विपद् व्यवस्थापन कोष — विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २३(१४) मा विपद् व्यवस्थापनको लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन कोष रहने र कोषमा रहने रकम तथा कोषको सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित स्थानीय तहले बनाएको नियममा तोकिएबमोजिम हुने व्यवस्था छ । पालिकाले कोभिड नियन्त्रणा तथा व्यवस्थापन कोष खडा नगरी यसै मार्फत सञ्चालन गरेको देखिन्छ । यस वर्ष रु.३८८३१३३।०० आम्दानी भई रु. ३५९४७९।५५ खर्च गरी बाँकी रु.३५९४७९।५५ देखिन्छ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | कोभिड-१९ तर्फ: कोरोना संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण र उपचार कोष ८०३२८५०३३००६०२ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | आव २०७७।७८ को अषाढ मसान्तसम्म कोभिड-१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि भएको आम्दानी तथा खर्चको विवरण निम्नानुसार रहेको छ: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>आम्दानी स्रोत</th> <th>रकम रु</th> <th>खर्च शिर्षक</th> <th>रकम रु</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>गत बर्षको बाँकी</td> <td></td> <td>राहत वितरण</td> <td></td> </tr> <tr> <td>स्थानीय तहको आफ्नै बजेटबाट</td> <td>२००००००</td> <td>क्वारेन्टाइन निर्माण</td> <td>५९७२००</td> </tr> <tr> <td>संघीय कोभिड कोषबाट</td> <td>०</td> <td>क्वारेन्टाइनमा प्रयोग हुने सामग्री खरिद</td> <td>६२८२२७</td> </tr> <tr> <td>प्रदेश कोभिड कोषबाट</td> <td>१००००००</td> <td>क्वारेन्टिनमा बस्नेको खाजा खर्च</td> <td>४५३६००</td> </tr> <tr> <td>स्थानीय पुर्वाधार विकास साजेदारी</td> <td>६०००००</td> <td>औषधी खरिद</td> <td>४८३४१४</td> </tr> <tr> <td>२१६ हाईड्रोपावर</td> <td>१०००००</td> <td>औषधी जन्य सामग्री</td> <td>४५५४९८</td> </tr> <tr> <td>पालिका कर्मचारीबाट</td> <td>१८३१३३</td> <td>स्वास्थ्य उपकरण</td> <td>६५९५४</td> </tr> <tr> <td>अन्य स्रोतबाट</td> <td>०</td> <td>एमबुलेन्स सञ्चालन व्यवस्थापन</td> <td>२००००</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>राहत वितरण</td> <td>६४७८८५।४५</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>यातायात खर्च</td> <td>१००००</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>अन्य खर्च</td> <td>१६१८७५</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>बाँकी</td> <td>३५९४७९।५५</td> </tr> <tr> <td>जम्मा</td> <td>३८८३१३३</td> <td></td> <td>३८८३१३३</td> </tr> </tbody> </table> | आम्दानी स्रोत | रकम रु | खर्च शिर्षक | रकम रु | गत बर्षको बाँकी | | राहत वितरण | | स्थानीय तहको आफ्नै बजेटबाट | २०००००० | क्वारेन्टाइन निर्माण | ५९७२०० | संघीय कोभिड कोषबाट | ० | क्वारेन्टाइनमा प्रयोग हुने सामग्री खरिद | ६२८२२७ | प्रदेश कोभिड कोषबाट | १०००००० | क्वारेन्टिनमा बस्नेको खाजा खर्च | ४५३६०० | स्थानीय पुर्वाधार विकास साजेदारी | ६००००० | औषधी खरिद | ४८३४१४ | २१६ हाईड्रोपावर | १००००० | औषधी जन्य सामग्री | ४५५४९८ | पालिका कर्मचारीबाट | १८३१३३ | स्वास्थ्य उपकरण | ६५९५४ | अन्य स्रोतबाट | ० | एमबुलेन्स सञ्चालन व्यवस्थापन | २०००० | | | राहत वितरण | ६४७८८५।४५ | | | यातायात खर्च | १०००० | | | अन्य खर्च | १६१८७५ | | | बाँकी | ३५९४७९।५५ | जम्मा | ३८८३१३३ | | ३८८३१३३ | |
| आम्दानी स्रोत | रकम रु | खर्च शिर्षक | रकम रु | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| गत बर्षको बाँकी | | राहत वितरण | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| स्थानीय तहको आफ्नै बजेटबाट | २०००००० | क्वारेन्टाइन निर्माण | ५९७२०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| संघीय कोभिड कोषबाट | ० | क्वारेन्टाइनमा प्रयोग हुने सामग्री खरिद | ६२८२२७ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| प्रदेश कोभिड कोषबाट | १०००००० | क्वारेन्टिनमा बस्नेको खाजा खर्च | ४५३६०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| स्थानीय पुर्वाधार विकास साजेदारी | ६००००० | औषधी खरिद | ४८३४१४ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २१६ हाईड्रोपावर | १००००० | औषधी जन्य सामग्री | ४५५४९८ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| पालिका कर्मचारीबाट | १८३१३३ | स्वास्थ्य उपकरण | ६५९५४ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| अन्य स्रोतबाट | ० | एमबुलेन्स सञ्चालन व्यवस्थापन | २०००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | राहत वितरण | ६४७८८५।४५ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | यातायात खर्च | १०००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | अन्य खर्च | १६१८७५ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | बाँकी | ३५९४७९।५५ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| जम्मा | ३८८३१३३ | | ३८८३१३३ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | यस सम्बन्धमा निम्नानुसार देखिएको छ: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| दफा | भौ.नं. मिति र व्यहोरा | बेरुजू रकम |
|-------|---|------------|
| २८.१. | कोषबाट रु ३८८३९३३।०० आम्दानी गरी दिर्घरोगीको लागि औषधी खरिद रु.४८३४९४। र राहत वितरण खर्च रु६४७८८५।४५ समेत रु. ३५२३६५३।४५ खर्च गरेको देखिन्छ । १०५ वटा क्वारेन्टाईन निर्माण तथा व्यवस्थापनका लागि रु २३९२३५४ भएको हुँदा प्रति व्यक्ति क्वारेन्टिन तथा व्यवस्थापन खर्च रु.२२७८४।३२ गरेको देखिन्छ । | |
| २८.२. | कोरोनाकोषबाट दिर्घरोगीको लागि रु. रु४७३९८४।०० औषधी खरिद गरी खर्च गर्नु उपयुक्त देखिएन । | ४७३९८४।० |
| २८.३. | फर्मसिल प्रालिबाट रु४७३९८४।०० मात्र खरीद गरेकोमा औषधी खरिदमा रु४८३४९४।०० देखाएकोमा बढी खर्च रु १०२३० असुल गर्नुपर्दछ | १०२३०।०० |
| २८.४. | क्वारेन्टिनमा बसेको तथा सहयोगी लगायत १३८ जनाको लागि २०० ब्लाकेट कम्मल रु ४९७२०० मा खरिद गरेको देखिन्छ । ५२ वटा कम्मल बढी खरिद गरेकोमा हाल सम्म उपोग गरेको देखिएन । | |
| २९. | वार्षिक प्रतिवेदन - विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ४५ मा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा गरेको कामको विवरण सहितको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति तथा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समिति समक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले कामको विवरण सहितको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित समितिमा पेस गरेको पाइएन । ऐनमा भएको व्यवस्थाको पालना हुनुपर्दछ । | |
| | गाँउपालिका पुँजीगत: | |
| | स्वीकृत स्थानीय तह बजेट अनुसार श्रोतगत कार्यक्रम तथा परियोजना मा १७९ परियोजना छनौट तथा स्वीकृत गरेपनि ६८ वटा मात्र कार्य सम्पन्न भएको देखिन्छ । उपभोक्ता समिति मार्फत ५३ आयोजना कार्यान्वयन गरेको देखिन्छ । | |
| ३०. | पूर्ण काम सम्पन्न नभई कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन: तामांग कल्चर तथा रेडपण्डा पार्क निर्माण कार्यको लागि स्वीकृत वोलपत्र अनुसार तायुडभुमि निर्माण सेवा रसुवासँग रु.११५७६७७०।०० मात्रको अधिनमा रहि मिति २०७७ असार मसान्त भित्र कार्य सम्पन्न गर्ने संज्ञौता भएकोमा कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन अनुसार रु.९१३५२९६ बराबरको बिल भुक्तानी भएको देखिन्छ । विओक्यूमा उल्लेखित आईटम मध्ये २१ आईटमको कार्य नभएको र सोमध्ये केहि आईटम तल उल्लेख गरीएको छ । देखिएको व्यहोरा निम्नानुसार छन् | |

| Particular | BOQ | cost est.BQ rate | total amt Rs. | Contractor rate | Total |
|--|---------|------------------|---------------|-----------------|--------|
| brick masonry work bondry wall | 9.13 | 15676.9 | 143130.1 | 15000 | 136950 |
| stainless steel hollow pipe | 2865.55 | 194 | 555916.7 | 300 | 859665 |
| sal timber for circular truss work-golghar construction | 1.24 | 127000 | 157480 | 150000 | 186000 |
| woodwork in preparation of circular truss and post picnic sport const. | 4.1 | 127000 | 520700 | 150000 | 615000 |
| brick masonry work 1:6cement mortar | 20.7 | 15676.9 | 324511.8 | 15000 | 310500 |
| damp proffing work pfw | 160 | 694.05 | 111048 | 750 | 120000 |

| दफा | भौ.नं., मिति र ब्यहोरा | | | | बेरुजू रकम | |
|-----|---|-----|-----------|----------|----------------------|------------|
| | 10mm thick acid and alkali resistant tile pfw | 175 | 1013.6 | 177380 | 1050 | 183750 |
| | fountain instalation pfw | 1 | 350000 | 350000 | 20000 | 20000 |
| | pitching well trimmed flagstone pfw | 138 | 1487.64 | 205294.3 | 1850 | 255300 |
| | satatue with tamang dress | 1 | 150575.8 | 150575.8 | 15000 | 15000 |
| | | | sub total | 2696037 | | 2702165 |
| | | | vat | 350484.8 | after dis % 35.35 | 1746950 |
| | | | Total | 3046521 | total with vat | 1974053.50 |

३०.१. कार्यस्वीकार संज्ञौता अनुसारको सम्पूर्ण कार्य नभई कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन दिनु उचित देखिएन ।

३०.२. यसरी कार्य सम्पन्न पुर्ण रुपमा नभई कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन दिईदा पुनः सोही कार्य अन्यबाट गराउदा लागत बढ्ने देखिन्छ । उदाहरणको रुपमा माथी उल्लेखित आईटमको लागत अनुमान रु. ३०४६५२९१। रहेको र सोही कार्य संज्ञौता मुताबिक सम्पन्न भएको अवस्थामा रु. २२७१०३।५० लागत पर्छ तर सम्पन्न नभएको अवस्थामा लागत अनुमान सँग तुलना गर्दा रु. १०७२४६७।५० बढी भुक्तानी गर्नुपर्दछ । तसर्थ सम्पूर्ण कामको कार्य सम्पन्न गरी मात्र कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन बनाई भुक्तानी गर्नुपर्दछ ।

३०.३. नापी किताव लुजसीटमा मात्र भएको तर नापी किताव नै प्रमाणित गरी राखेको देखिएन ।

३१. ५ लाख वा सो भन्दा तल मुल्यका योजना तथा शुन्य प्रगती भएको आयोजना: ६२ योजना बजेट व्यवस्था भएकोमा ३४ योजनाको कार्यान्वयन गरेको देखिन्छ भने २८ आयोजना कार्यान्वयन गरेको देखिदैन ।

| कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम | विनियोजन | खर्च |
|---|----------|------|
| सवारी साधन | ३,५०,००० | ० |
| कम्प्युटर सफ्टवेयर निर्माण तथा खरिद खर्च | ४,५०,००० | ० |
| झोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत साझेदारी कार्यक्रम | ३३२००० | ० |
| झोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत साझेदारी कार्यक्रम | ५०,००० | ० |
| नागधली सामुदायिक भवनमा रड रोगन, नाली तथा बाल निर्माण | २,३०,००० | ० |
| धुञ्चे, स्याफु र टिमुरेमा व्यवस्थित वधशाला निर्माण | १,५०,००० | ० |
| गाउँपालिकाको भवन मर्मत, पार्किङ तथा ग्याबिन बाल निर्माण | ३,४८,००० | ० |
| लिडलिड वृद्धिम पैदल मार्ग निर्माण तथा मर्मत | ५,००,००० | ० |
| धुमन डम्पिङ साइट निर्माण | ५,००,००० | ० |
| नागधली सामुदायिक भवनमा रड रोगन, नाली तथा बाल निर्माण २ | ४७०००० | ० |
| वडा नं. २ को वडा कार्यालयमा आवश्यक फर्निचर निर्माण | ५,००,००० | ० |
| फोहोरमैला व्यवस्थापन | २,००,००० | ० |
| टिमुरे खेलकुद मैदान निर्माण २ | ५,००,००० | ० |
| टिमुरे स्वास्थ्य चौकी गेट पर्खाल मर्मत कार्य | ५०,००० | ० |
| वडा नं. २ को वडा भवनमा गेट तथा रेलिड निर्माण | ३७५००० | ० |
| लिडलिड पेल्को आमा समूहको भवन निर्माण फिनिशिसड | ५,००,००० | ० |
| फर्निचर तथा फिक्चर्स | ५,००,००० | ० |
| भेन्ज्याड गाउँमा सिढी ढलान कार्य | ५,००,००० | ० |

| दफा | भौ.नं. मिति र ब्यहोरा | बेरुजू रकम |
|-----|--|------------|
| | दोहा छुप्ता खाड गुम्बाको चौर निर्माण | ५,००,००० |
| | बृद्धिम खेल मैदान निर्माण | ५,००,००० |
| | चामलुङ देखि ब्राबल गाउँमा बिजुली बत्ती पोल तथा नांगो तार बिस्तार निर्माण | ५,००,००० |
| | चौरी गाई गोठको लागि खानेपानी पाइप खरिद गरी वितरण | २,००,००० |
| | सार्वजनिक स्थलहरुमा वृक्षारोपण तथा बागैचा निर्माण | २,००,००० |
| | खम्बाटार बजारमा नाली तथा ढल निर्माण | ५,००,००० |
| | स्याफ्रुबेशी भा मा बुढको मुर्ति स्थापनाको लागि भवन निर्माण | ५,००,००० |
| | घट्टे खोला झोलुङ्गे पुल र बाल निर्माण १ | २,१६,००० |
| | भिमली सडकमा स्तराेन्नती र ग्याबियन बाल निर्माण २ | ४००००० |
| | पासाडल्हामु राजमार्गदिखि बोकेझुण्डाको गुम्बासम्म गोरिठोवाटो ढलान र सिढी निर्माण | ५,००,००० |
| | ससर्त प्रदेश | |
| ३२. | बढी भुक्तानी: बोकोझुण्ड नाडवो कुनामा ध्याडगुम्बा निर्माण धुन्चे बडा नं ६ को कार्यमा ५७८ बोरको भुक्तानी गरेकोमा ५०७ बोर मात्र खरिद गरेको देखिएकाले बढि रु ६९९७०।५० भुक्तानि भएको रकम जनश्रमदान कट्टी गरी रु ६३७८४।०० असुल गर्नुपर्दछ । | ६३७८४ |
| | चालु तर्फ | |
| ३३. | निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा (ख) वमोजिम तलवी प्रतिवेदन पारित गराएर मात्र तलव भत्ता भुक्तानी गर्नुपर्नेमा कार्यालयले तलवी प्रतिवेदन पारित नगरी तलव खर्च लेखेको पाईयो । तलवी प्रतिवेदन पारित नगरेको कारणवाट भुक्तानी भएको तलव तथा ग्रेड रकमका सम्बन्धमा एकिन हुन सकिएन । तलवी प्रतिवेदन पारित गरेर मात्र तलव खर्च भुक्तानी गर्ने तर्फ गाँउपालिकाको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ । | |
| ३४. | विल भरपाई: आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ३६ मा खर्च गर्दा खर्चको विल भरपाई सहितको लेखा राख्नुपर्ने उल्लेख छ । अन्य कार्यालय सञ्चालन खर्च शीर्षक अन्तर्गत गौ भौ न ५५ मिति २०७६।८।३ भौचर परीक्षण गर्दा ग्याल्मो तामाडलाई भुक्तानी दिएको रु १००००।०० विल भरपाई आवश्यक प्रमाण नपुगेको आवश्यक प्रमाण पेस गर्नुपर्ने अन्यथा सो रकम असुल उपर हुनुपर्नेछ । | १०००० |
| ३५. | सरुवा भ्रमण खर्च: गौ भौ न १५५ मिति २०७७।३।२८ भौचर र सम्बन्धित कागजात परिक्षण गर्दा देहायवमोजिमका कर्मचारी यस कार्यालयवाट सरुवा भई अन्य कार्यालयमा जादा सरुवा पारिवारिक खर्च बुझ्निएको र रमाना पत्रमा पारिवारिक भ्रमण खर्च नलिएको ब्यहोरा उल्लेख गरीएको छ । यसो हुदा निजले पदस्थापन भएको कार्यालयवाट पनि भ्रमण लिएको हुनसक्ने हुदा पदस्थापन भएको कार्यालयवाट पारिवारिक सरुवा भ्रमण खर्च नलिएको प्रमाण पेस गर्नु पर्ने र यदि पदस्थापन भएको कार्यालयवाट पारिवारिक भ्रमण खर्च लिएको भए सो रकम असुल हुनुपर्दछ । | ७७७०० |

| दफा | भौ.नं. मिति र ब्यहोरा | | बेरुजू रकम |
|-----|-----------------------|----------|---|
| | कर्मचारीको नाम थर | रकम | |
| | श्री पशुपति देव | ३१३००।०० | जिल्ला अस्पताल कार्यालय, उदयपुर मकालु गाउँपालिका, सङ्खुवासभा तारकेस्वर नगरपालिका, काठमाण्डौ |
| | श्री एलिना राई | ३२४००।०० | |
| | श्री सम्झना कुवर | १४०००।०० | |
| | जम्मा | ७७७००।०० | |

३६. पेशकी बाँकी: आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम ७४ ३ मा तोकिएको म्याद भित्र यसै नियमावलीको कार्यविधि अपनाई फछोट गर्नु गराउनु पेशकी लिने दिने दुवै थरीको कर्तव्य हुने उल्लेख छ । निम्न लिखित पेशकी रकम आ व २०७७।७८ को असोज मंशिर पुषमा फछोट गरेको नदेखिन्छ । नियमावलीको पालना गरी समयमै फछोट तर्फ ध्यान दिनुपर्दछ ।

| कर्मचारी पेशकी | | | १११९०० | फछोट गरेको मिति |
|------------------------|--|----------------------|--------|-----------------|
| ११५।२०७६।८।१८ | अन्य सम्पत्तिहरुको संचालन तथा संभार खर्च | अर्जुन प्रसाद डोटेला | ९०००० | २०७७।८।३० |
| ११७।२०७६।९।१८ | इन्धन अन्य प्रयोजन | तेम्पा जिरिग तामाङ | २००० | २०७७।९।२ |
| ११७।२०७६।९।१८ | ईन्धन पदाधिकारी | तेम्पा जिरिग तामाङ | १६६०० | |
| ११७।२०७६।९।१८ | पानी तथा बिजुली | तेम्पा जिरिग तामाङ | ३३०० | |
| निर्माण ब्यवसायी पेशकी | | | ५१९००० | |
| ८६।२०७७।३।१२ | गाउँपालिकाको कार्यालय भवन | एस क्यु कन्टक्सन | ५१९००० | २०७७।६।१२ |
| व्यक्तिगत पेशकी | | | ४५५०० | |
| १५।२०७६।६।१५ | विविध खर्च | दावा सिंगी तामाङ | ५००० | फछोट नगरेको |
| १५।२०७६।६।१५ | विविध खर्च | सच्च बहादुर तामाङ | ५००० | फछोट नगरेको |
| १९९।२०७६।११।२ | सवारी साधन मर्मत खर्च | दावा सिंगी तामाङ | २५००० | २०७७।८।३० |
| २६६।२०७७।१।२ | सवारी साधन मर्मत खर्च | दावा सिंगी तामाङ | १०५०० | |

३७. अनुगमन तथा सम्परीक्षण - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा बेरुजू फछोट गर्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही एनको दफा ८४(२)(घ) मा बेरुजू फछोट गर्ने गराउने काम कर्तव्य प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हुने व्यवस्था छ । यो वर्षको लेखापरीक्षणको क्रममा भई सम्परीक्षण भई गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजू निम्नानुसार रहेको छ । फछोट गर्ने तर्फ कार्यालयले ध्यान दिनुपर्दछ ।

| गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजू (A) | यो वर्ष संपरीक्षण गरिएको बेरुजू (B) | गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजू (C=A-B) |
|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| ३१३०२ | २००७९ | ११२२३ |

५२०१

| दफा | | भौ.नं. मिति र ब्यहोरा | | | बेरुजू रकम |
|---|----------------|---|-------------------|---------------------|------------|
| यस वर्ष फछ्यौट भएको बेरुजूको स्थिति निम्नानुसार रहेको छ । गाँउ सभाको मिति २०७८।३।१० का दिन निर्णय नं ३७ क ३७ख ३७ ग ३७घ को निर्णय र आवश्यक प्रमाणका आधारमा सम्परीक्षण गरिएको छ । | | | | | |
| क्र.स. | बेरुजुको विवरण | संपरीक्षण गरी लगत कट्टा गर्नु पर्ने रकम रु. | | | जम्मा |
| | | पेरकी | नियमित गर्नुपर्ने | असुल उपर गर्नुपर्ने | |
| २०७५।७६ | | | | | |
| १ | १८ | अप्रिम आयकर, पारिश्रमिक कर र सामाजिक सुरक्षा कर कट्टी नगरी दिइएकोले असुल गरी राजस्व खातामा दाखिला गर्नु पर्ने रकम रु ६६८९५ | | | |
| | | सहभागी प्रशिक्षक भत्ता | | | ५३९९० |
| २ | २१.१ | स्वास्थ्य चौकीहरुको कर्मचारीहरुलाई तलय शीर्षकबाट स्थानीय भत्ता, महङ्गी भत्ता, पोशाक भत्ता र करार सेवाका कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक भुक्तानी गरेको | | ९९५२९२.०० | |
| ३ | २५.२ | क्याब्रिन हाइड्रोपावरमा दरज निर्माण कार्य वापत उ.स.लाई भुक्तानी गर्दा काठ र प्लाईको डुवानी वापत खर्च लेखेको तर ४० धान काठ र १० धान प्लाईको डुवानी गरेको जनाईको काठ र प्लाई खरिदको बिजक पेश गरेको छैन । उक्त परिमाण खरिदको विल बिजक पेश गर्नुपर्ने | | ५६०७१५.०० | |
| ४ | ३० | गाउँपालिकाले ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यको लागि खरिद गरेको २०० धान स्टाईट वितरण गरेको भर्पाई पेश गर्नुपर्ने । | | ४९७२००.०० | |
| ५ | ३३ | रेडियो रसुवा १०२.१ मेगा हर्जलाई सेवा शुल्क भुक्तानी गर्दा १.५% का दरले कर कट्टी गर्नुपर्नेमा १.५% का दरले मात्रै कर कट्टी गरेकोले अपुग कर कट्टी रकम सम्बन्धितसँग असुल गर्नुपर्ने | | १७५५० | |
| ६ | ३६ | बिभिन्न कर्मचारी तथा सहकारी संस्थाले फछ्यौट गर्नुपर्ने बाँकी पेरकी रु. ४७,०९,८४०/- | | | |
| | | एकीकृत जिल्ला स्वास्थ्य | ३८००० | | |
| | | कार्यक्रम तर्फ (८०१५६६३) | ९०००० | | |

| दफा | | भौ.नं. मिति र व्यहोरा | | | बेरुजू रकम |
|-----|----|--|-----------|---------|------------|
| | | प्रदेश शसर्त अनुदान तर्फ | | | |
| | | ८०३२८५३ | ५०००० | | |
| | | सामाजिक सुरक्षा अनुदान तर्फ (३६५०१५३) | ८९६००० | | |
| | | | २४४००० | | |
| | | | ५६६४०० | | |
| | | | १२७९२०० | | |
| | | राजघ बौडफाँड खर्च खाता तर्फ | | | |
| | | | ५००० | | |
| | | | ११०००० | | |
| | | आन्तरिक खर्च खाता तर्फ | | | |
| | | | ५४७३७५ | | |
| | | | २३२६६५ | | |
| | | | ५००० | | |
| | | | ४४६२०० | | |
| ७ | ४० | पारिश्रमिक कर कट्टी नभएकोले असुल उपर गर्नुपर्ने | | | |
| | | | | ६६९९.३ | |
| | | राजघ बौडफाँड | | २२२९.५ | |
| | | | | १०५२८.४ | |
| ८ | ४२ | ऐनको व्यवस्था विपरित पदाधिकारीहरुले पोराक सुविधाको लिएको रकम असुल उपर गर्नुपर्ने | | ९२५०० | |
| ९ | ४३ | भ्रमण आदेश स्वीकृत नभएका कार्यालयका १७ जना कर्मचारीहरुलाई यातायात खर्च भनी प्रति कर्मचारी प्रतिदिन रु २००० का दरले भुक्तानी भएको रकम असुल गर्नुपर्ने | | ६०००० | |
| १० | ४४ | निर्देशिका विपरित कला सञ्चालन तथा कार्यपत्र वापत भुक्तानी भएको रकम असुल उपर गर्नुपर्ने रु १६००० | | ८००० | |
| | | | | ८००० | |
| ११ | ४६ | पालिका भ्रमण वर्ष तथा वन्यजन्तु सप्ताह कार्यक्रमको लागि मंगोलियन हर्ट व्याण्डसँग पारिश्रमिक शीर्षकमा विनियोजित रकम भन्दा बढी भुक्तानी गरिएको | २०००००.०० | | |

भौ.नं. मिति र ब्यहोरा

दफा

बेरुजू रकम

| | | | | | | | | |
|----|------|---|--|------------|-----------|--------|----------|--|
| १२ | ५९ | कार्यक्रम सँग असम्बन्धित कर्मचारीहरुलाई बितरण गरेको भत्ता असुल उपर हुनुपर्ने रु. २,३८०/- | | | | ११९० | | |
| | | | | | | ५९५ | | |
| | | | | | | ५९५ | | |
| १३ | ६० | गाउँपालिकाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले प्राप्त गरेको बैठक भत्ता मध्ये कर कट्टी गरी बितरण गरेको भत्ता असुल उपर गर्नुपर्ने | बेरुजू दोहोरिएको १३७ ७००२ कर जम्मा भएको कर जम्मा भएको १४८६८० | | | | | |
| | | | | | | ६१२०० | | |
| | | | | | | २१९३०० | | |
| | | | | | | ५१००० | | |
| | | | | | | १३७७०० | | |
| | | | | | | १३३४२५ | | |
| | | | | | | ९१८०० | | |
| १५ | ७० ड | बडा सचिव जंगे तमाङले आर्थिक वर्ष ७४/७५ को अन्तिमको सामाजिक सुरक्षा रकम ७५/७६ मा पेफ गर्दा MIS मा दर्ता नभएको नाममा रु ८००० खर्च लेखेको असुल उपर गर्नुपर्ने | | | | ८००० | | |
| १६ | ७१ | समबिनि जानकी मिश्रले सञ्चालन गरेको बाल क्लब गठन अन्तर्गत १४ जनाको रु.४५०/- का दरले हुन आउने जम्मा रकम रु. ६,३००/- मा १५% कर कट्टी गर्नु पर्नेमा कर कट्टी नगरेको | | | | ९४५ | | |
| १७ | ७३ | चाडपर्व खर्चमा समेत सचयकोष धप भुक्तानी रु. ४,३४१/- | | | | २२८८ | | |
| | | | | | | २०५३ | | |
| १८ | ७५ | सन्तायर्सबाट सोझै खरिद गरेको नियम अनुसार भएन । | ० | ३१६४९९५.०० | ० | | | |
| | | | ४५०९८४० | ५४३५६७२.०० | ९५२०३१.२० | | १०८९७५४३ | |

२०७४/७५

| | | | | | | | |
|---|----|--|---|---------|---|--|--|
| १ | १८ | गत आ.ब.मा साविकका गाउँ विकास समितिमा आर्थिक वर्षको अन्तमा ब्रीकी रहेको रकम स्थानीय तहको सञ्चित कोष खातामा जम्मा गर्न म.ले.प. प्रतिवेदनले औल्याएको भएपनि आदेशको पालना नभएको | ० | १४९३३४३ | ० | | |
| २ | २९ | | | | | | |

| | | | | | | ४००० |
|----|----|---|-------|----------|--------|------|
| | | | | | | १००० |
| | | | | | | २००० |
| | | | | | | २००० |
| | | | | | | २००० |
| | | | | | | १००० |
| | | | | | | १००० |
| ३ | ३१ | पेशकी फछोट गरेको देखिएन | ३५००० | | | |
| ४ | ३३ | विपुत महशुल समयमा नवुझाएकोले जरिवाना वापत घप व्ययभार भएको रकम | | १९०३५.१ | | |
| ५ | ३५ | संघीय सरकारको अनुदानबाट गैर सरकारी संस्था सक्षम समाज नेपाललाई स्टिलको भाँडा जस्ता अनुत्पादक खर्चमा भुक्तानी गरेको | | २०९८९४.५ | | |
| ६ | ३६ | धुबे खोदोल कृषि सङ्घ उपभोक्ता समितिलाई दिएको पेशकी फछोट नगरेको रकम असुल गर्नुपर्ने | | | १५०००० | |
| ७ | ३९ | कानुनी आधार बेगर निर्णयका आधारमा वडा नं. ६ का पदाधिकारीलाई योजना अनुगमन खाजा भत्ता वापत दिएको रकम | | ७५००० | | |
| ८ | ४१ | ICT पुर्वाधार सहितको शैक्षिक सूचना केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन भएको अनुगमन प्रतिवेदन तथा प्रमाण पेश गर्नु पर्ने | | २००००० | | |
| ९ | ४३ | बिल भर्पाई र कागजात भन्दा बढी फछोट गरी भुक्तानी गरेको रकम रु. १४,६५०/- | | | २६५० | |
| | | | | | १२००० | |
| १० | ४४ | वडा नं. ६ का कृषकहरूलाई वितरण गरिएको सिल पोलिन प्लाष्टिक कार्यक्रम अनुरूप प्रयोग गरेको देखिने प्रमाण एवम् अनुगमन प्रतिवेदन पेश नगरेको । | | १५०००० | | |
| ११ | ४५ | स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत कर्मचारीलाई काजमा अन्यत्र खटाई पुँजीगत शीर्षकको रकमबाट वृद्धिम स्वास्थ्य | | २३४००० | | |

भौ.नं. मिति र ब्यहोरा

बेरुजू रकम

| | | | | | |
|----|----|---|--|--------|-----------|
| | | चौकीमा करारमा कर्मचारी राखी खर्च गरेको । | | | |
| १२ | ४६ | भान्तरिक श्रोतको भरपर्दो आधार खडा नगरी गाउँपालिकाको निर्णयको आधारमा गरेको अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण हुनु पर्ने । | | ४४७००० | |
| १३ | ४७ | गाउँपालिकाले कागती, स्पाउको विरुवा र आलुको विउ वितरण गरेको तर विरुवा सरे नसरेको कार्यालयको अनुगमन प्रतिवेदन बेगर गरेको खर्च । | | २४०००० | |
| १४ | ४३ | स्पष्ट आधार एवम् कार्यविधि बिना प्रोत्साहन भत्ता बापत भुक्तानी गरेको रकम असुल उपर हुनुपर्ने । | | | १४४९८२.४० |
| १५ | ५६ | कानूनी आधारमा खर्चको पुटाई बेगर गरिने खर्चलाई नियम संगत मान्न नसकिने हुँदा त्यस्ता खर्चहरूमा नियन्त्रण हुनुपर्छ । | | ७०००० | |
| १६ | ५८ | बडा भिव योजना निरिक्षण गरेको भनी भुक्तानी भएको रकम रु. १,०७,०००/- | | १४००० | |
| | | | | १४००० | |
| | | | | १४००० | |
| | | | | १४००० | |
| | | | | १४००० | |
| | | | | १४००० | |
| | | | | ११००० | |
| | | | | ४००० | |
| | | | | ४००० | |
| | | | | ४००० | |
| १७ | ५९ | प्रमाण तथा पुटाई बेगरको खर्च असुल उपर गर्नु पर्ने रु. ५,२०,५००/- | | | ७०२५० |
| | | | | | ६६००० |
| | | | | | ५०००० |
| | | | | | ५०००० |
| | | | | | ५०००० |
| | | | | | ५०००० |
| | | | | | ५०००० |

(Handwritten signature)

| दफा | भौ.नं. मिति र व्यहोरा | | | बेरुजू रकम |
|-----|-----------------------|------------------------|--------|------------|
| | | | | ३५००० |
| | | | ० | ३५००० |
| १८ | | बढी बेरुजू अत्या गरेको | ४००००० | |
| | | | ३५०००. | ३६४५२७२.६० |
| | | | | ७२८८८२.४० |
| | | | | ४४१९१४५.१० |

२०७३।७४

| | | | | | | |
|---|----|---|------------|-------------|------------|-------------|
| २ | १४ | कार्यालय सामान, फर्निचर मेशिनरी औजार जस्ता सामान पटक पटक सोझै खरिद गरेकोले नियम संगत देखिएन । | | २८५२२०८ | | |
| ३ | १९ | वडा सचिव बाइदी तगाड सवारी साधन पेशकी । | २५०००० | | | |
| ४ | २३ | छुट्टै अस्तित्व र बजेट व्यवस्था भएका कृषि सेवा केन्द्र स्थाफु (बीज विजन खरिद) लाई कार्यालयले खर्च लेखेको । | | ५०००० | | |
| ५ | २४ | कार्यालयले पुँजीगत कार्यको लागि विनियोजन भएको बजेटबाट चालु प्रकृतिको खर्च लेखेको नियम सम्मत भएन | | ८१९५०० | | |
| ६ | २६ | कार्यालयले गरेको खर्चको बिल भर्पाई पेश नभएकोले बिल भर्पाई गर्नुपर्ने वा असुल उपर गर्नुपर्ने । | | २८०००० | | |
| ७ | ३० | पुँजीगत रकमबाट चालु प्रकृतिका खर्च गरेको नियम सम्मत देखिएन । | | ५११२९७ | | |
| | | जम्मा | २५००००.०० | ४५१३००५.०० | ०.०० | ४७६३००५ |
| | | कुल जम्मा | ४७९४८४०.०० | १३६०३९४९.६० | १६८०९१३.७० | २००७९७०३.३० |

अघावधिक बेरुजू - यस पालिकाको २०७६।७७ सम्मको फछ्यौट गर्न बाँकी बेरुजुको स्थिति देहायअनुसार रहेको छ

| गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजू (A) | यो वर्ष संपरीक्षण गरिएको बेरुजू (B) | यो वर्ष कायम बेरुजू (C) | संपरीक्षणबाट कायम बेरुजू (D) | अघ्याविधक बाँकी बेरुजू (E=A-B+C+D) |
|-----------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------|--|
| ३१३०२ | २००७९ | १७४८२ | ० | २८७०५ |

७२७

गोसाईकुण्ड गाउँपालिका

संचित कोष विवरण
२०७६।७७

(रु हजारमा)

| दिनांक | प्रदेश | जिल्ला | स्थानीय तह | गातवर्षको जिम्मेवारी | आग | | | | व्याय | | | मौज्दात बाँकी | | | |
|--------|---------------|-----------------------|------------|----------------------|-------------|---------------|-----------------|------------|-------|----------|-----------|---------------|-------------|-----------|------------|
| | | | | | समाय अनुदान | प्रदेश अनुदान | राजस्व बाँडफाँड | आन्तरिक आय | अन्य | जम्मा आय | चालु खर्च | | पूजागत खर्च | अन्य खर्च | जम्मा खर्च |
| १ | बागमती प्रदेश | गोसाईकुण्ड गाउँपालिका | रसुवा | ३३४०१ | १६९६७९ | ३३२२८ | ५७४०६ | ७४४० | ६१८४५ | ३२९५९८ | ९९३०८ | ७८३१७ | ९३८७६ | २७१४०१ | ९९५९८ |

वेरजु वर्गीकरण (विनियोजन, राजस्व, घरोटी र अन्य कारोबार)
२०७६।७७

(रु. हजारमा)

| प्रारम्भिक वेरजु | प्रतिक्रियाबाट फछ्यौट | | बाँकी वेरजु | | वेरजु | | | | | | |
|------------------|-----------------------|------|-------------|-----|-------------|--------------|--------------------------|--------------------------------|------------------|-------|--------|
| | रकम | रकम | रकम | | अभुल रतुपने | अनियमित भएको | प्रमाण कागजात सेवा नभएको | नियमित रतुपने | | जम्मा | पेस्की |
| | | | दफा संख्या | रकम | | | | राजस्व लागत जिम्मेवारी नसारेको | सोपयर्ना नसारेको | | |
| ४४ | ६ | ७९९६ | ७८ | ४४ | ७४ | ७७५५ | १० | ० | ० | ७७६५ | ० |

अद्यावधिक वेरजु स्थिति
२०७६।७७

(रु. हजारमा)

| जिल्ला | गत वर्ष सम्मको बाँकी | समायोजन | यो वर्षको फछ्यौट | बाँकी वेरजु | सम्भोजनबाट कायम वेरजु | यो वर्षको वेरजु | कुल वेरजु बाँकी |
|--------|----------------------|---------|------------------|-------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| रसुवा | ३१३०२ | ० | ० | ३१३०२ | ० | ७८३८ | ३९१४० |

२७